अन्तिम विनियम

मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग

ऊर्जा भवन,शिवाजी नगर, भोपाल–462016

भोपाल, दिनांक 16 जून, 2005

क्रमांक – 1431/म.प्र. वि.नि.आ./2005 – विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 39 (2) (डी), 40 (सी), 42 (2, 3) 86 (1) (सी) सहपठित धारा 181 (1) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतद् द्वारा निम्न विनियम बनाता है ।

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (मध्यप्रदेश राज्य में खुली पहुंच प्रणाली की निबंधन तथा शर्तें) विनियम 2005

1 : संक्षिप्त नाम, प्रारंभ तथा लागू किये जाने की सीमा

1.1 ये विनियम मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (मध्यप्रदेश राज्य में खुली पहुंच प्रणाली की निबंधन तथा शर्तें) विनियम 2005 कहलाएंगे ।

1.2 ये विनियम मध्यप्रदेश सरकार के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से प्रभावशील होंगे ।

1.3 ये विनियम मध्यप्रदेश राज्य के भौगोलिक क्षेत्र में लागू होंगे तथा राज्य के अन्दर पारेषण प्रणाली तथा/अथवा राज्य के अनुज्ञप्तिधारियों की वितरण प्रणालियों के उपयोग हेतु खुली पहुंच के क्रेताओं को मय ऐसी प्रणाली सहित जो अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रणाली के साथ संयुक्त रूप से उपयोग में लाई जा रही हो, लागू होंगे ।

2 : परिभाषाएं

2.1 इन विनियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :–

''अधिनियम'' से अभिप्रेत है विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का क्रमांक 36) तथा अनुवर्ती संशोधन, जो भी हों;

''आवंटित पारेषण क्षमता'' से अभिप्रेत है, सामान्य परिस्थितियों में राज्य के अन्दर पारेषण प्रणाली पर कतिपय दीर्घ–अवधि के क्रेता को अन्तःक्षेप (Injection) के विनिर्दिष्ट बिन्दुओं तथा निकासी के विनिर्दिष्ट बिन्दुओं (Points) के मध्य ऊर्जा अन्तरण ऊर्जा (मेगावाट में) हेतु प्रदान की गई अनुमति जो अनुबंधित की गई हो तथा अभिव्यक्ति ''पारेषण क्षमता का आवंटन'' की व्याख्या तद्नुसार की जावेगी;

''आवंटित वितरण क्षमता'' से अभिप्रेत है, सामान्य परिस्थितियों में वितरण प्रणाली पर कतिपय दीर्घ–अवधि के क्रेता को अन्तःक्षेप (Injection) के विनिर्दिष्ट बिन्दुओं (Points) तथा निकासी के विनिर्दिष्ट बिन्दुओं के मध्य ऊर्जा अन्तरण (मेगावाट में) प्रदान की गई अनुमति जो अनुबंधित की गई हो तथा अभिव्यक्ति ''वितरण क्षमता का आवंटन'' की व्याख्या तद्नुसार की जावेगी;

''संतुलन तथा व्यवस्थापन संहिता'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य के ग्रिड उपयोगकर्ताओं हेतु संहिता जो ऊर्जा/मांग लेखे के संतुलन तथा अनुसूचित एवं वास्तविक ऊर्जा/मांग के अन्तर के व्यवस्थापन हेतु आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की गई हो;

''विपुल (बल्क) ऊर्जा पारेषण अनुबन्ध'' से अभिप्रेत है एक निष्पादित अनुबंध जिसमें ऐसी निबन्धन तथा शर्तें सम्मिलित की गई हैं जिसके अन्तर्गत एक खुली पहुंच क्रेता कतिपय पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के राज्य के भीतर पारेषण प्रणाली तक पहुंच हेतु अधिकृत है;

''विपुल (बल्क) ऊर्जा चक्रण (व्हीलिंग) अनुबंध'' से अभिप्रेत है एक निष्पादित अनुबन्ध जिसमें ऐसी निबन्धन तथा शर्तें सम्मिलित की गई हैं जिसके अन्तर्गत एक खुली पहुंच क्रेता वितरण अनुज्ञप्तिधारी की वितरण प्रणाली तक पहुंच हेतु अधिकृत है;

''आयोग'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग;

''दिवस'' से अभिप्रेत है एक दिवस जो 0.00 बजे से प्रारंभ हो कर 24.00 बजे समाप्त होता है;

''इंडियन इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कोड (आई ई जी सी)'' से अभिप्रेत है ग्रिड संहिता जो, केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 79 की उपधारा (1) के अनुच्छेद (एच) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट की गई हो;

''मध्यप्रदेश इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कोड (एम पी ई जी सी)'' से अभिप्रेत है राज्य ग्रिड संहिता जो आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 86 की उपधारा (1) के अनुच्छेद (एच) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट की गई हो;

''माह'' से अभिप्रेत है ब्रिटिश केलेण्डर अनुसार एक कलेण्डर माह;

''खुली पहुंच क्रेता'' से अभिप्रेत है एक ऐसा व्यक्ति जिसे इन विनियमों के अन्तर्गत किसी अन्य व्यक्ति से विद्युत प्राप्ति हेतु अनुमति प्रदान कर दी गई हो, केवल उन्हें छोड़कर जो उसके प्रदाय क्षेत्र का वितरण अनुज्ञप्तिधारी हो अथवा उत्पादन कंपनी (कैप्टिव उत्पादन कंपनी को सम्मिलित कर) हो अथवा अनुज्ञप्तिधारी हो जिसके द्वारा खुली पहुंच प्रणाली सुविधा प्राप्त कर ली हो अथवा उसकी प्राप्ति का इच्छुक हो;

''अन्तःक्षेप बिन्दु'' (पाईंट आफ इन्जेक्शन) से अभिप्रेत है एक संयोजन जहां विद्युत, पारेषण नेटवर्क अथवा विद्युत वितरण नेटवर्क में अंतरित की जाती हो (जैसी कि आवश्यकता हो);

''निकासी बिन्दु (पाईंट ऑफ ड्रावल)'' से अभिप्रेत है एक संयोजन जहां विद्युत, पारेषण नेटवर्क अथवा विद्युत वितरण नेटवर्क से अंतरित की जाती हो (जैसा कि आवश्यक हो);

''आरक्षित पारेषण क्षमता'' से अभिप्रेत है, पारेषण क्षमता के उपलब्ध होने की दशा में पारेषण प्रणाली के कतिपय लघु–अवधि क्रेता को विनिर्दिष्ट अन्तःक्षेप बिन्दु(ओं) तथा निकासी बिन्दु (ओं) के मध्य ऊर्जा अन्तरण हेतु अनुमति (मेगावॉट में) दी गई हो तथा अभिव्यक्ति ''पारेषण क्षमता का आरक्षण'' की व्याख्या तदनुसार की जायेगी;

''आरक्षित वितरण क्षमता'' से अभिप्रेत है वितरण क्षमता के उपलब्ध होने की दशा में वितरण प्रणाली के कतिपय लघु–अवधि क्रेता को विनिर्दिष्ट अन्तःक्षेप बिन्दु (ओं) तथा निकासी बिन्दु (ओं) के मध्य ऊर्जा अन्तरण हेतु अनुमति (मेगावाट में) दी गई हो तथा अभिव्यक्ति ''वितरण क्षमता का आरक्षण'' की व्याख्या तदनुसार की जावेगी;

''राज्य भार प्रेषण केन्द्र'' से अभिप्रेत हैं विद्युत अधिनियम 2003 की धारा (31) की उपधारा (1) के अन्तर्गत गठित राज्य भार प्रेषण केन्द्र (State Load Dispatch Centre), जो वर्तमान में जबलपुर में स्थित है तथा पारेषण प्रणाली के परिचालन की व्यवस्था हेतु चौबीसों घंटे संचालित रहता है तथा राज्य में विद्युत उत्पादन तथा भार की आवश्यकताओं का समन्वय करता है;

''राज्य'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य ;
''कार्य दिवस'' से अभिप्रेत है, ऐसा दिवस जब राज्य भार प्रेषण केन्द्र/अनुज्ञप्तिधारियों (जैसा कि लागू हो) के कार्यालय व्यापारिक गतिविधियों हेतु खुले रहें ।

2.2 अन्य सभी अभिव्यक्तियां जो यहां प्रयुक्त की गई हैं, किन्तु जिन्हें विशेष रूप से परिभाषित नहीं किया गया है परन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, उनका वही अर्थ होगा जो अधिनियम में उनके लिये दिया गया हो । यहां प्रयुक्त अन्य अभिव्यक्तियां जिन्हें इन विनियमों या अधिनियम में विशेष रूप से परिभाषित नहीं किया गया है, किन्तु राज्य के विद्युत उद्योग पर लागू संसद द्वारा पारित किसी विधि में अथवा टैरिफ आदेश में परिभाषित किया गया है, उनका वही अर्थ होगा, जो ऐसी विधि में उनके लिये दिया गया हो । उपरोक्त के अधीन यहां प्रयुक्त अभिव्यक्ति जो विशेष रूप से इस विनियम अथवा अधिनियम अथवा संसद द्वारा पारित किसी विधि में परिभाषित नहीं है, उसका वहीं अर्थ होगा जैसा विद्युत प्रदाय उद्योग में सामान्यतः परिभाषित किया जाता हो ।

3 : खुली पहुंच की पात्रता तथा पालन की जाने वाली शर्तें

3.1 इन विनियमों के उपबन्धों के अध्यधीन, खुली पहुंच के क्रेता, राज्य पारेषण इकाई (यूटिलिटी) अथवा अन्य कोई पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की राज्य की पारेषण प्रणाली हेतु तथा राज्य के वितरण अनुज्ञप्तिधारियों अथवा कोई अन्य वितरण अनुज्ञप्तिधारी, की राज्य के अन्दर स्थित वितरण प्रणाली हेतु खुली पहुंच की पात्रता रखेंगे ।

3.2 इस प्रकार की खुली पहुंच इस प्रयोजन हेतु तैयार किये गये विनियमों के अनुसार ऐसे प्रभारों के भुगतान द्वारा जैसा कि आयोग निर्धारित करे, उपलब्ध कराई जावेगी ।

3.3 परिचालन की परिस्थितियों तथा अन्य प्रासंगिक कारकों को दृष्टिगत रखते हुए, खुली पहुंच को निम्न चरणों में अनुमति प्रदान की जावेगी :

(i) गैर पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत :

गैर पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत के उत्पादक तथा उपयोगकर्ताओं को खुली पहुंच तात्कालिक प्रभाव से उपलब्ध करा दी जावेगी तथा वे राज्य शासन की वर्तमान नीतियों से नियंत्रित होंगे ।

(ii) पारंपरिक ऊर्जा के केप्टिव उत्पादन संयंत्र :

केप्टिव उत्पादन संयंत्रों हेतु खुली पहुंच तात्कालिक प्रभाव से उपलब्ध करा दी जावेगी ।

(iii) समस्त अन्य खुली पहुंच क्रेता :

सरल क्रमांक 3.3 (i) एवं 3.3 (ii) में दर्शाये गये उपयोगकर्ताओं से भिन्न उपयोगकर्ताओं को निम्न समय–सारणी अनुसार खुली पहुंच उपलब्ध कराई जावेगी ।

स. क्र.	**चरण**	**पारेषण एवं चक्रण हेतु, खुली पहुंच के अन्तर्गत अनुबंधित ऊर्जा वाले क्रेता तथा निम्न वोल्टेज अनुसार**	**तिथि जब से खुली पहुंच प्रदान की जाना है ।**
1.	प्रथम	राज्य के किसी भी भाग में स्थित उपयोगकर्ता जिनकी आवश्यकता 10 मेगावाट अथवा उससे अधिक, 132 केवी अथवा इससे अधिक वोल्टेज, पर है	इन विनियमों के प्रभावशील होने की दिनांक से
2.	द्वितीय	राज्य शासन द्वारा अधिसूचित औद्योगिक विकास केन्द्रों में स्थित उपयोगकर्ता जिनकी आवश्यकता 5 मेगावाट अथवा इससे अधिक, अतिरिक्त उच्च वोल्टेज उपकेन्द्र से 33 के वी अथवा इससे अधिक वोल्टेज, पर है ।	इन विनियमों के प्रभावशील होने की दिनांक से
3.	तृतीय	राज्य शासन द्वारा अधिसूचित औद्योगिक विकास केन्द्रों में स्थित उपयोगकर्ता जिनकी आवश्यकता 2 मेगावाट अथवा इससे अधिक, 33 केवी अथवा इससे अधिक वोल्टेज, पर है ।	अक्टूबर 1, 2005
4.	चतुर्थ	राज्य के किसी भाग में स्थित उपयोगकर्ता जिनकी आवश्यकता 5 मेगावाट अथवा इससे अधिक है ।	अप्रेल 1, 2006
5.	पंचम	राज्य शासन द्वारा अधिसूचित औद्योगिक विकास केन्द्रों में स्थित उपयोगकर्ता जिनकी आवश्यकता 1 मेगावाट तथा इससे अधिक है ।	अक्टूबर 1, 2006
6.	षष्ठम	राज्य के किसी भी भाग में स्थित उपयोगकर्ता जिनकी आवश्यकता 2 मेगावाट तथा इससे अधिक है	अप्रेल 1, 2007

7.	सप्तम	राज्य के किसी भी भाग में स्थित उपयोगकर्ता जिनकी आवश्यकता 1 मेगावाट तथा इससे अधिक है	अक्टूबर 1,2007

3.4 खुली पहुंच के प्रारंभिक एवं परिचालन के अनुभव के आधार पर, आयोग खुली पहुंच प्रदान की जाने वाली अनुसूची को पुनरीक्षित कर सकेगा ।

3.5 आयोग ऐसे क्रेताओं/उपयोगकर्ताओं, जिनकी आवश्यकता 1 मेगावाट से कम है, खुली पहुंच प्रदान करने की अनुमति, ऐसे समय पर जब वह परिचालन की परिस्थितियों एवं अन्य कारकों को दृष्टिगत रखते हुए, व्यवहारिक समझे, कर सकेगा ।

3.6 इन विनियमों के लागू होने पर, वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को अपने विद्यमान तथा भावी उपभोक्ताओं की ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के नेटवर्क पर पहुंच हेतु संविदाओं/अनुबन्धों के माध्यम से व्यवस्थाएं करना होंगी । ऐसे प्रकरणों में इन विनियमों के अनुच्छेद 3.3 के प्रावधान लागू नहीं होंगे ।

4 : विद्यमान इकाइयों (Entities) हेतु प्रावधान

विद्यमान वितरण एवं व्यापारिक अनुज्ञप्तिधारी

4.1 राज्य के अन्दर पारेषण प्रणाली तथा वितरण प्रणाली का उपयोग करने वाले वितरण एवं व्यापारिक अनुज्ञप्तिधारी इन विनियमों के लागू होने की तिथि से कतिपय विद्यमान अनुबंध अथवा व्यवस्था के अन्तर्गत खुली पहुंच व्यवस्था द्वारा ऐसे पारेषण तथा वितरण प्रणाली पर उन्हीं निबंधों तथा शर्तों द्वारा, विद्यमान अनुबन्ध अथवा व्यवस्थाओं के अन्तर्गत पारेषण प्रभारों चक्रण प्रभारों अथवा अन्य प्रभारों के भुगतान द्वारा जैसा कि आयोग द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जावेगा, जारी रखेंगे।

4.2 इन विनियमों के लागू होने पर विद्यमान वितरण अनुज्ञप्तिधारी तथा व्यापारिक अनुज्ञप्तिधारियों को उनके विद्यमान तथा भावी उपभोक्ताओं की ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के नेटवर्क पर पहुंच हेतु स्थाई व्यवस्थाएं/अनुबंध करना होगा। ये वितरण तथा व्यापारिक अनुज्ञप्तिधारी इन विनियमों के लागू होने से 60 दिवस के अन्दर, राज्य पारेषण इकाई/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी तथा राज्य भार प्रेषण केन्द्र को ऐसे ब्योरे जो उपयोग की गई क्षमता, अन्तःक्षेप बिन्दु, निकास बिन्दु, खुली पहुंच उपलब्ध कराई

जाने की अवधि, सामान्य भार (पीक लोड), औसत भार तथा ऐसी अन्य जानकारियां जैसा कि राज्य पारेषण इकाई/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी/राज्य भार प्रेषण केन्द्र को आवश्यक होगी तक ही प्रदान हेतु सीमित न होंगी बल्कि ऐसे उपयोग हेतु निबन्ध तथा शर्ते भी प्रदान करना होंगी । वितरण अनुज्ञप्तिधारी तथा व्यापारिक अनुज्ञप्तिधारी उपरोक्त जानकारी आयोग को भी प्रस्तुत करेंगे ।

विद्यमान उपभोक्ता तथा विद्युत उत्पादक

4.3 विद्यमान उपभोक्ता अथवा उत्पादन कंपनियां मय गैर परंपरागत ऊर्जा स्त्रोत जिन्हें अनुबन्धों अथवा शासन की नीति के अन्तर्गत खुली पहुंच उपलब्ध होगी, इन विनियमों के लागू होने की तिथि से कतिपय ऐसी पारेषण तथा वितरण प्रणाली पर विद्यमान अनुबन्ध अथवा व्यवस्था के अन्तर्गत पारेषण प्रभारों, चक्रण प्रभारों तथाा अन्य प्रभारों जैसा कि आयोग द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जावेगा, खुली पहुंच जारी रखने की पात्रता रखेंगें। वे राज्य भार प्रेषण केन्द्र को उपयोग की गई क्षमता, अन्तःक्षेप बिन्दु, निकास बिन्दु, खुली पहुंच उपलब्ध कराई जाने की अवधि, सामान्य भार(पीक लोड), औसत भार संबंधी वितरण और कतिपय अन्य जानकारी जैसा कि राज्य पारेषण इकाई/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी/संबंधित वितरण अनुज्ञप्तिधारी अथवा राज्य भार प्रेषण केन्द्र को आवश्यक होगी, इन विनियमों के लागू होने के 60 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करेंगे ।

4.4 विद्यमान उपभोक्ता अथवा उत्पादक कंपनियों को, उपरोक्त अनुच्छेद 4.3 के अन्तर्गत इन विनियमों द्वारा निर्धारित निबंधन एवं शर्तों के अन्तर्गत उस सीमा जहां तक वे राज्य शासन द्वारा आयोग को दिये गये नीति दिशा निदेशों के अन्तर्गत नीति नहीं आते, खुली पहुंच की उपलब्धि जारी रहेगी । ऐसे प्रकरणों में अनुच्छेद 3.3 लागू नहीं होगा । ऐसी सुविधा हेतु लागू पारेषण प्रभारों, चक्रण प्रभारों तथा अन्य प्रभारों का निर्धारण आयोग द्वारा समय–समय पर किया जावेगा ।

5 : खुली पहुंच क्रेताओं का वर्गीकरण

5.1 खुली पहुंच क्रेताओं का वर्गीकरण निम्नानुसार किया जावेगा :

दीर्घ–अवधि खुली पहुंच क्रेताः एक खुली पहुंच क्रेता जिसे दस वर्ष अथवा उससे अधिक की अवधि हेतु खुली पहुंच प्राप्त हो एक दीर्घ–अवधि खुली पहुंच क्रेता कहलाएगा ।

बशर्ते राज्य पारेषण इकाई के स्वामित्व के अथवा उसके द्वारा संचालित राज्य पारेषण प्रणाली के विद्यमान हितग्राहियों को इन विनियमों के प्रयोजन की दृष्टि से राज्य पारेषण इकाई के स्वामित्व के अथवा उसके द्वारा संचालित दीर्घ–अवधि क्रेता माना जावेगा ।

लघु–अवधि खुली पहुंच क्रेता : खुली पहुंच उपभोक्ता जो दीर्घ–कालीन खुली पहुंच क्रेताओं के वर्ग में नहीं आते लघु–अवधि खुली पहुंच क्रेता कहलाएंगे ।

6 : आवंटन प्राथमिकता

6.1 खुली पहुंच हेतु अनुमति प्रदान करने की प्राथमिकता निम्न मानदण्डों के आधार पर निश्चित की जावेगी :

ए . वितरण अनुज्ञप्तिधारी, दीर्घ अवधि हेतु

बी. अन्य खुली पहुंच क्रेता, दीर्घ अवधि हेतु;

सी. वितरण अनुज्ञप्तिधारी लघु अवधि हेतु;

डी. अन्य खुली पहुंच क्रेता, लघु अवधि हेतु ।

6.2 उपरोक्त अनुच्छेदों के अध्यधीन, दीर्घ अवधि खुली पहुंच हेतु निर्णय करने का आधार प्रथम आओ – प्रथम पाओ'' अथवा 'बोली' द्वारा किया जावेगा, जैसा कि लागू हो ।

6.3 उपरोक्त अनुच्छेदों के अध्यधीन, लघु अवधि खुली पहुंच हेतु निर्णय करने का आधार 'प्रथम आओ – प्रथम पाओ अथवा ''बोली'' द्वारा किया जावेगा जैसा कि लागू हो ।

7 : खुली पहुंच की अनुमति बाबत मानदण्ड

पारेषण खुली पहुंच हेतु

7.1 अर्न्त–संयोजन (इंटरकनेक्शन) वोल्टेज म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता 2004 अनुसार होगी ।

7.2 दीर्घ–अवधि पहुंच हेतु अनुमति म.प्र. विद्युत ग्रिड संहिता के पारेषण प्लानिंग मानदण्डों के प्रावधानों के अनुरूप दी जावेगी ।

7.3 लघु–अवधि पहुंच हेतु अनुमति प्रदान की जावेगी, बशर्ते अनुरोध का समायोजन, निम्न उपयोग द्वारा किया जावे :

- अर्न्तनिहित रूपांकन गुंजाइशें (Inherent design margins);
- ऊर्जा प्रवाह में अन्तर द्वारा उपलब्ध गुंजाइशें; एवं
- भविष्य में भार में होने वाली वृद्धि हेतु अर्न्तनिहित (Inbuilt) अतिरिक्त पारेषण क्षमता के कारण उपलब्ध गुंजाइशें ।

वितरण खुली पहुंच हेतु

7.4 अर्न्त संयोजन(इंटरकनेक्शन) की वोल्टेज म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता 2004 अनुसार होगी ।

7.5 वितरण अनुज्ञप्तिधारी अपनी प्रणाली की खुली पहुंच की सुविधाओं का विस्तार इन विनियमों में निर्धारित समय सारणी अनुसार करेगा तथा ऐसी आपूर्ति बाबत वितरण अनुज्ञप्तिधारी के कर्त्तव्य एक संयुक्त संवाहक के रूप में होंगे जो बिना भेद–भाव खुली पहुंच व्यवस्था प्रदान करा रहा है ।

8. खुली पहुंच प्राप्ति की प्रक्रिया

समन्वयन अभिकरण (नोडल एजेन्सी)

8.1 समस्त प्रकार की दीर्घ–अवधि खुली पहुंच व्यवस्थाओं हेतु, यथा पारेषण या वितरण या दोनों की संयोजन व्यवस्था का समन्वयन अभिकरण (नोडल एजेन्सी) राज्य पारेषण इकाई होगी जो किसी अधिकारी को जिसका पद अधीक्षण यन्त्री पद से कम न होगा, को खुली पहुंच आवेदनों पर कार्यवाही हेतु, नामांकित करेगी ।

8.2 समस्त प्रकार के लघु–अवधि खुली पहुंच व्यवस्थाओं हेतु, यथा,पारेषण या वितरण या दोनो की संयोजन व्यवस्था का समन्वयन अभिकरण (नोडल एजेन्सी) राज्य भार प्रेषण केन्द्र होगा जो किसी अधिकारी को जिसका पद अधीक्षण यन्त्री पद से कम न होगा को, खुली पहुंच के क्रेताओं के आवेदन प्राप्त करने एवं उन पर अग्रिम कार्यवाही हेतु नामांकित करेगा ।

8.3 राज्य में क्रियाशील पारेषण तथाा वितरण अनुज्ञप्तिधारी भी किसी अधिकारी को जिसका पद अधीक्षण यन्त्री पद से कम न होगा, राज्य पारेषण इकाई से खुली पहुंच आवेदनों पर समन्वय हेतु, नामांकित करेंगे।

8.4 राज्य पारेषण इकाई, राज्य भार प्रेषण केन्द्र तथा अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा नामांकित ऐसे अधिकारियों के नाम तथा उनके सम्पर्क विवरण आयोग को सूचित किये जावेंगें तथा ये सभी राज्य पारेषण इकाई, राज्य भार प्रेषण केन्द्र तथा अनज्ञप्तिधारियों की वेब साईट पर उपलब्ध रहेंगें ।

8.5 समन्वयन अभिकरण (नोडल एजेंसीज़) यथा, राज्य पारेषण इकाई तथा राज्य भार प्रेषण केन्द्र इन विनियमों को लागू करने हेतु उत्तरदायी रहेंगें तथा इस प्रयोजन हेतु आयोग के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य सम्पादन करेंगें ।

दिशा–निर्देश

8.6 राज्य भार प्रेषण केन्द्र, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारियों से विचार विमर्श पश्चात राज्य पारेषण इकाई इन विनियमों के जारी होने से 30 दिवस के अन्दर, आयोग को, दिशा निर्देशों, प्रक्रियाऐं, खुली पहुंच के आवेदन हेतु आवेदन प्रपत्र, आदर्श विपुल (बल्क) ऊर्जा पारेषण अनुबंध , विपुल ऊर्जा चक्रण (व्हीलिंग) अनुबन्ध एवं ऊर्जा तथा मांग के संतुलन तथा व्यवस्थापन कार्य विधि का प्रारूप अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगी । अन्य कोई विषय वस्तु, जिनमें इन विनियमों के अर्न्तगत राज्य प्रेषण इकाई अथवा राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा दिशा निर्देशों को जारी करने की आवश्यकता हो, को भी प्रारूप में सम्मिलित कर आयोग के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जावेगा।

आवेदन प्रक्रिया

8.7 एक खुली पहुंच का इच्छुक क्रेता अपना आवेदन समन्वयन अभिकरण (नोडल एजेन्सी) को इन विनियमों के साथ संलग्न प्रपत्र के अनुसार प्रस्तुत करेगा । समन्वय अभिकरण को अतिरिक्त जानकारी चाहे जाने का, जैसा कि उपयुक्त हो, अधिकार होगा । समन्वयन अभिकरण पूर्ण रूप से प्राप्त आवेदन मय देय योग्य शुल्क की अभिस्वीकृति आवेदक को उसकी प्राप्ति के एक दिवस के अन्दर, देगा ।

8.8 एक क्रेता जो खुली पहुंच का इच्छुक है, अपने आवेदन की एक प्रति वितरण अनुज्ञप्तिधारी को भी प्रस्तुत करेगा जो उसे विद्युत प्रदाय कर रहा है, अथवा जिसके प्रदाय क्षेत्र में निकासी बिन्दु स्थित है ।

8.9 दीर्घ–अवधि खुली पहुंच का इच्छुक क्रेता आवेदन के साथ रू. 50,000/– (रूपये पचास हजार) जो वापिसी योग्य न होगा का आवेदन शुल्क जो राज्य प्रेषण इकाई (यूटिलिटी) को देय होगा तथा लघु अवधि खुली पहुंच का इच्छुक क्रेता आवेदन के साथ रू. 5000/– (रूपये पांच हजार) जो वापिसी योग्य न होगा का आवेदन शुल्क जो राज्य भार प्रेषण केन्द्र को देय होगा, जमा करना होगा । आवेदन शुल्क डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में देय होगा ।

8.10 फैक्स/ई–मेल से प्राप्त आवेदन भी स्वीकृत किये जावेंगे ।

8.11 समन्वयन अभिकरण आवेदन की एक–एक प्रति पारेषण अनुज्ञप्तिधारी तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी को भी अग्रेषित करेगा जो विद्युत प्रदाय कर रहा है अथवा जिसके प्रदाय क्षेत्र में निकासी बिन्दु स्थित है ।

दीर्घ अवधि खुली पहुंच प्राप्ति की प्रक्रिया

8.12 समन्वय अभिकरण (नोडल एजेन्सी) अर्थात् राज्य प्रेषण इकाई द्वारा अन्य एजेन्सियों के परामर्श से जिनमें पारेषण तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी भी सम्मिलित होंगे एवं प्रणाली अध्ययन के आधार पर आवेदन प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर आवेदक को सूचित करेंगे कि प्रणाली सुदृढ़ीकरण के बिना उन्हें दीर्घ अवधि खुली पहुंच उपलब्ध कराई जा सकेगी अथवा नही :

बशर्ते जहां खुली पहुंच हेतु बिना प्रणाली सुदृढ़ीकरण की अनुमति दी जा सकती है, वहां अविलंब वाणिज्यिक अनुबन्ध सम्पादन द्वारा अनुमति प्रदान की जावेगी ।

8.13 यदि राज्य पारेषण इकाई, के मतानुसार दीर्घ–अवधि पहुंच प्रदाय किये जाने से पूर्व प्रणाली का सुदृढ़ीकरण किया जाना अत्यावश्यक हो तो ऐसी दशा में आवेदक राज्य प्रेषण इकाई को प्रणाली सुदृढ़ीकरण हेतु लागत प्राक्कलन एवं कार्य पूरे किये जाने का कार्यक्रम शेडयूल तैयार किये जाने की दृष्टि से राज्य पारेषण इकाई को प्रणाली अध्ययन एवं प्रारंभिक जांच–पड़ताल किये जाने हेतु अनुरोध कर सकेगा ।

8.14 राज्य पारेषण इकाई, आवेदक से अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर, उपरोक्त विनियम 8.12 के अनुसार अन्य संबंधित ऐजेन्सियों से विचार विमर्श द्वारा जिनमें पारेषण तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी भी सम्मिलित हैं, अविलंब अध्ययन आरंभ कर देगी तथा आवेदन प्राप्ति की तिथि से 90 दिवस के अन्दर आवेदक को अध्ययनों के परिणामों से अवगत करायेगी । राज्य पारेषण इकाई संग्रह किये गये आंकडे तथा प्रणाली मानचित्र पर प्रदर्शित (प्लाट किये गये) किये गये प्राप्त परिणाम जिन्हें सारणी बद्ध भी किया जावेगा, इलेक्ट्रानिक प्रपत्र में तथा हार्ड कापियों में सुरक्षित रखेगी । आवेदक अध्ययन द्वारा प्राप्त परिणाम के आधार पर उचित कार्यवाही हेतु राज्य पारेषण इकाई को अनुरोध कर सकता है ।

8.15 आवेदक राज्य पारेषण इकाई द्वारा प्रणाली सुदृढ़ीकरण अध्ययन हेतु किये गये वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति करेगा :

बशर्ते आवेदक द्वारा शुल्क के रूप में भुगतान की गई रू. पचास हजार की राशि को आवेदक द्वारा प्रतिपूर्ति की जाने वाली राशि के विरूद्ध समायोजित किया जावेगा ।

8.16 यदि एक ही दिवस में एक से अधिक दीर्घ अवधि खुली पहुंच के इच्छुक क्रेता क्षमता के आवंटन हेतु आवेदन प्रस्तुत करते हैं तथा यदि चाही गई क्षमता जो क्रेताओं को उक्त समय पर आवंटित की जाना है, उपलब्ध क्षमता से अधिक हो, ऐसी दशा में समन्वय अभिकरण (नोडल एजेन्सी) क्रेताओं को उनके द्वारा क्षमता आवर्धन होने की अवधि तक चाही गई क्षमता के अनुपात में क्षमता आवंटित किये जाने बावत प्रस्तावित कर सकती है ।

8.17 किसी भी दीर्घ अवधि क्रेता को आवंटित पारेषण क्षमता को आयोग की अनुमति के बगैर न तो निरस्त किया जा सकेगा तथा न ही किसी अन्य क्रेता को अन्तरित किया जा सकेगा । दीर्घ अवधि क्रेता जो क्षमता को निरस्त अथवा उसका अन्तरण करना चाहे, उसे ऐसे शुल्क जैसा कि आयोग द्वारा इस हेतु निर्धारित किया जावेगा, का भुगतान किये जाने हेतु क्रेता बाध्य होगा ।

लघु अवधि खुली पहुंच प्राप्ति की प्रक्रिया

8.18 लघु अवधि खुली पहुंच के आवेदन की स्वीकृति पर उसी दशा में कार्यवांही की जावेगी जब लघु अवधि खुली पहुंच प्रथम से चतुर्थ माह के अन्दर प्रारंभ हो रही है तथा चतुर्थ माह के

बाद समाप्त न हो रही हो, इस तथ्य को मान्य कर कि जिस माह में आवेदन प्रस्तुत किया गया है, को प्रथम माह माना जावेगा।

8.19 किसी माह में लघु अवधि पहुंच की स्वीकृति हेतु खुली पहुंच के आवेदन जो एक ही माह में आरंभ होकर समाप्त होने जा रहे हों अथवा जो माह की उन्नीसवीं दिनांक के उपरांत प्राप्त हुए है तथा आगामी माह में आरंभ हो कर समाप्त होने जा रहे हों, पर 'प्रथम आऐं प्रथम पाऐं' के आधार पर कार्यवाही की जावेगी तथा लघु अवधि पहुंच की स्वीकृति क्षमता की उपलब्धि पर आधारित होगी।

8.20 उपरोक्त अनुच्छेद 8.18 के अनुसार प्राप्त लघु अवधि पहुंच के आवेदनों को छोड़कर जिन पर कार्यवाही 'प्रथम आऐं प्रथम पाऐं' के आधार पर की जाना है, को छोड़कर अन्य आवेदन जो माह की उन्नीसवीं तिथि तक प्राप्त हुए हैं, पर अग्रिम आरक्षण हेतु माह की बीसवीं तिथि पर विचार किया जावेगा तथा इन पर कार्यवाही निम्न रीति द्वारा की जावेगी, यथा :–

(ए) लघु–अवधि खुली पहुंच हेतु उपयोग किये जाने वाले मार्ग (corridor) पर अतिपूर्ति (Congestion) की जांच हेतु विश्लेषित की जावेगी।

(बी) यदि राज्य भार प्रेषण केन्द्र कतिपय किसी भी अर्न्तनिहित मार्गों (Corridors) पर अतिपूर्ति की अपेक्षा नहीं कर रहा हो, ऐसी दशा में आवेदकों को चाही गई मात्रा तथा अवधि हेतु लघु–अवधि पहुंच हर दशा में माह की पच्चीसवीं तिथि तक स्वीकृत कर दी जावेगी।

(सी) यदि राज्य भार प्रेषण केन्द्र के मतानुसार, समस्त आवेदकों को लघु–अवधि खुली पहुंच स्वीकृत किये जाने के कारण लघु–अवधि खुली पहुंच हेतु उपयोग किये जाने वाले किसी एक अथवा उससे अधिक मार्ग किसी भी अवधि में अतिपूर्ति (Congestion) से प्रभावित होगे, ऐसी दशा में वह आवेदकों को तदनुसार अपने मत से, कारणों को दर्शाते हुए माह की तेइसवीं तिथि को अथवा इस से पूर्व अवगत करावेगा।

(डी) उपरोक्त उप–अनुच्छेद (सी) अनुसार सूचना प्राप्त होने पर एक आवेदक उसकी क्षमता की आवश्यकताओं को अतिपूर्ति की अवधि में कम कर सकेगा अथवा केवल कतिपय ऐसी अवधि हेतु पहुंच के लिए अपना विकल्प देगा जब अतिपूर्ति

अपेक्षित न की गई हो तथा ऐसी दशा में वह राज्य भार प्रेषण केन्द्र को तदनुसार इस आशय से माह की पच्चीसवीं तिथि तक अवगत करावेगा।

(ई) यदि राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा फिर भी लघु अवधि खुलीं पहुंच हेतु उसके एक अथवा उससे अधिक मार्गो पर अतिपूर्ति का पूर्वानुमान लगाया जाता है, ऐसी दशा में वह इन विनियमों के अनुच्छेद 8.23 के अनुसार अतिपूर्ति वाले (कंजेस्टिड) मार्ग हेतु क्षमता के आरक्षण बाबत माह की छब्बीसवीं तिथि को इलेक्ट्रनिक माध्यम से बोलियां (बिड्स) आमन्त्रित करेगा। कतिपय किसी आवेदक का बोली में भाग न लिये जाने का यह तात्पर्य लगाया जावेगा कि वह इसके उपरांत खुली पहुंच हेतु इच्छुक नहीं है तथा उसके आवेदन पर आगे कोई कार्यवाही नहीं की जावेगी ।

8.21 तदोपरांत, माह की किसी अवधि में किसी आरक्षित मार्ग के पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से रिक्त हो जाने पर राज्य भार प्रेषण केन्द्र अपनी सार्वजनिक आधिपत्य (डोमेन) की वैब साईट पर इसे प्रदर्शित करेगा ।

8.22 इन विनयमों के लागू होने से 30 दिवस के अन्दर राज्य भार प्रेषण केन्द्र, आयोग से पूर्व अनुमति प्राप्त कर, लघु अवधि के क्रेताओं हेतु पारेषण तथा वितरण क्षमताओं की आरक्षण संबंधी विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित करेगा जिसमें बोली लगाने, अग्रिम आरक्षण, 'प्रथम आएं प्रथम पाएं' आधारित आरक्षण, वैकल्पिक मार्गों का उपयोग तथा अन्य बचे हुए विषयों पर विस्तृत प्रक्रिया का निर्धारण भी सम्मिलित होगा। प्रक्रिया में आगे किये जाने वाले संशोधन आयोग की पूर्व अनुमति पश्चात ही किये जावेंगे ।

8.23 एक बार खुली पहुंच स्वीकृत हो जाने के पश्चात दीर्घ–अवधि क्रेता अथवा लघु–अवधि के क्रेताओं को अनुवर्ती कतिपय किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आवेदन करने पर उसे ऐसे व्यक्ति द्वारा बदला नही जा सकेगा। आरक्षित पारेषण तथा वितरण क्षमताएं कतिपय किसी लघु–अवधि क्रेता द्वारा अन्य किसी क्रेता को अन्तरित नहीं की जा सकेंगी।

लघु अवधि की खुली पहुंच हेतु, बोली प्रक्रिया

8.24 विनियम के अनुच्छेद 8.19 के अनुसार कतिपय क्रेताओं द्वारा आरक्षित किये जाने बाबत चाही गई क्षमता, उपलब्ध क्षमता से अधिक हो ऐसे समय पर राज्य भार प्रेषण केन्द्र ऐसे क्रेताओं से बोलियां आमन्त्रित करेगा।

8.25 बोली लगाये जाने हेतु आधार मूल्य (Floor Price) इन विनियमों के विनियम 13 के अनुसार अवधारित लघु–अवधि दर (ST-Rate एस.टी–दर) होगा ।

8.26 बोली लगाने वाले इच्छुक व्यक्ति आधार मूल्य पर आधारित अपनी बोली लगायेंगे।

8.27 किसी भी बोली लगाने वाले इच्छुक व्यक्ति को आधार मूल्य से 5 गुना अधिक दर पर अपनी दर प्रस्तुत करने की अनुमति नही होगी ।

8.28 पारेषण तथा वितरण क्षमताओं का आरक्षण लगाई गई बोली संबंधी मूल्य के घटते क्रमानुसार किया जावेगा ।

8.29 किन्ही दो बोली लगाने वाले इच्छुक व्यक्तियों द्वारा, एक ही मुल्य की बोली लगाए जाने की दशा में पारेषण और/या वितरण क्षमता का आरक्षण हेतु चाही गई पारेषण और/या वितरण क्षमता के आधार पर आनुपातिक दर (प्रोरेटा) पर किया जावेगा ।

8.30 लघु–अवधि, क्रेता जिसे उसके द्वारा चाही गई क्षमता से कम क्षमता का आरक्षण प्राप्त होगा, वह बोली गई दर के आधार पर प्रभार देगा तथा लघु अवधि क्रेता जिन्हे पारेषण और/या वितरण चाही गई क्षमता के आरक्षण के बराबर प्राप्त होगा, उसे पूर्व में ऐसे क्रेता को स्वीकृत दर पर जो उसके द्वारा चाही गई क्षमता के बराबर हो, के आधार पर प्रभार देना होगा ।

प्रबोधन, विवाद निराकरण तथा निर्णय की समीक्षा

8.31 आयोग एक ऐसी समिति का गठन करेगा, जिसे खुली पहुंच प्रबोधन, विवाद निराकरण तथा निर्णय समीक्षा समिति (जो इसके बाद समिति कहलाएगी) के नाम से जाना जावेगा ।

8.32 समिति का गठन/ आयोग के अनुमोदनानुसार राज्य भार प्रेषण केन्द्र , राज्य पारेषण इकाई तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी के एक–एक प्रतिनिधि द्वारा तथा आयोग द्वारा उनके

स्टाफ के एक सदस्य के नामांकन द्वारा किया जावेगा । आयोग का प्रतिनिधि समिति का समन्वयक (coordinator) होगा। राज्य भार प्रेषण केन्द्र, राज्य पारेषण इकाई, वितरण अनुज्ञप्तिधारी तथा आयोग एक वैकल्पिक सदस्य को नामांकित करेगा जिसके द्वारा प्रस्तुत विचार वही अर्थ रखेगें जैसा कि वे मूल पदांकित सदस्य के विचार हों:

बशर्ते राज्य भार प्रेषण केन्द्र, राज्य पारेषण इकाई तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य, जब तक आयोग द्वारा लिखित में अभिस्वीकृति प्रदान न कर दी गई हो, अधीक्षण यन्त्री अथवा उसके समकक्ष पद के अधिकारी होगें ।

8.33 समिति समन्वयन अभिकरणों (एजेन्सीज) के कृत्यों की समीक्षा का प्रबोधन नियमित रूप से करेंगी ।समिति 3 माह में कम से कम एक बार स्थिति की समीक्षा करेगी । राज्य प्रेषण इकाई तथा राज्य भार प्रेषण केन्द्र खुली पहुंच हेतु स्वीकृत प्रकरणों के विवरण, समन्वयन अभिकरणों द्वारा लंबित/अस्वीकृत प्रकरण संबंधी जानकारी आदि प्रस्तुत करने हेतु बाध्य होंगे । समिति इन विनियमों की समीक्षा 6 माह में कम से कम एक बार अवश्य करेगी ।

8.34 असंतुष्ट क्रेताओं के अनुरोध पर समिति, खुली पहुंच के अन्तर्गत प्रदान की गई स्वीकृतियों संबंधी विवादों का निराकरण तथा समन्वयन अभिकरणों द्वारा दिये गये निर्णयों पर पुर्नविचार कर सकेंगी ।

8.35 समन्वयन अभिकरण (नोडल एजेन्सी) के निर्णय से असन्तुष्ट कोई व्यक्ति किसी नई तथा महत्वपूर्ण सामग्री अथवा साक्ष्य अथवा अन्य कोई तथ्य, उसके द्वारा किये गये परिश्रम के बावजूद उसकी जानकारी में न आ पाया हो अथवा निर्णय के प्रसारित होने के समय प्रस्तुत नहीं किया जा सका हो अथवा अभिलेखों में किसी गलती अथवा उसमें स्पष्ट रूप से परिलक्षित चूक अथवा अन्य कोई पर्याप्त कारणों से समक्ष में लाया न जा सका हो , ऐसी दशा में समिति द्वारा प्रसारित निर्णय के 45 दिनों के अन्दर ऐसे निर्णय पर पुर्नविचार हेतु आवेदन कर सकेगा।

8.36 पुनरीक्षण, हेतु उक्त आवेदन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकेगा । इस तथ्य के आधार पर कि निर्णय पुर्नविचार हेतु पर्याप्त कारण हैं अथवा नहीं, समिति ऐसे पुर्नविचार के अनुरोध को स्वीकार अथवा निरस्त कर सकेगी ।

8.37 जब समिति को ऐसा प्रतीत हो कि पुर्नविचार हेतु कोई पर्याप्त आधार नही है, समिति ऐसे पुर्नविचार आवेदन को निरस्त कर सकेगी।

8.38 जब समिति का यह अभिमत हो कि पुर्नविचार आवेदन को स्वीकार किया जा सकता है, ऐसी दशा में वह स्वीकृति प्रदान करेगी ।

8.39 राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा उपरोक्तानुसार विनियम में परिभाषित लघु–अवधि खुली पहुंच हेतु दिये गये निर्णय पर विवाद की स्थिति में, प्रकरण को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकेगा।

8.40 क्रेता समिति के निर्णय से असंतुष्ट होने पर आयेाग के समक्ष समुचित आदेश की प्राति हेतु याचिका दायर कर सकेगा। ऐसी दशा में क्रेता को अपनी याचिका मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (कार्य संचालन) विनियमों के अनुसार दायर करना होगी।

9. आवेदन पर कार्यवाही संबंधी समय सारणी

9.1 समन्वयन अभिकरण (नोडल एजेन्सी) द्वारा खुली पहुंच की स्वीकृति हेतु आवेदनो पर कार्यवाही हेतु निम्न समय सारणी का अनुसरण करना होगा :

सरल क्रमांक	सेवा/गतिविधि का प्रकार	कार्यवाही हेतु अधिकतम समय (छुट्टियां सम्मिलित कर)
1	लघु–अवधि खुली पहुंच (विनियम 8. 19 अनुसार)	
	एक दिवस हेतु	24 घंटे
	एक सप्ताह हेतु	48 घंटे
	एक सप्ताह से अधिक हेतु	72 घंटे
2	दीर्घ–अवधि खुली पहुंच	
	बिना प्रणाली सुदृढ़ीकरण के पहुंच की संभावना संबंधी सूचना देना	30 दिवस
	प्रणाली सुदृढ़ीकरण हेतु लागत प्राक्कलन तथा कार्य पूर्ण किये जाने के कार्यक्रम (शेड्यूल) संबंधी अध्ययन की सूचना देना	90 दिवस

दिवस पूर्व सम्पादित किये जाने वाले लेन–देन :

9.2 विनियम 13 अनुसार निर्दिष्ट पारेषण प्रभारों, चक्रण प्रभारों, प्रचालन प्रभार आदि के अग्रिम भुगतान हेतु आग्रह नहीं किया जावेगा । ये भुगतान आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से 3 दिवस के अन्दर किये जा सकते हैं ।

9.3 राज्य भार प्रेषण केन्द्र को खुली पहुंच तथा समय सारणी हेतु समन्वित अनुरोध निश्चित रूप से अपरान्ह तीन बजे तक प्रेषित कर दिया जावेगा । राज्य भार प्रेषण केन्द्र जारी की जाने वाली समय तालिका में खुली पहुंच संबंधी अनुरोध को सम्मिलित किये जाने संबंधी कार्यवाही करेगा यदि अनुरोध को अतिपूर्ति (कन्जेशन) निमित्त किये बिना समायोजित किया जा सके ।

9.4 राज्य भार प्रेषण केन्द्रों द्वारा सायं 5 बजे जारी की गई प्रथम समय सारणी के उपरांत प्राप्त होने वाली अतिशेष ऊर्जा के उपयोग हेतु खुली पहुंच तथा समय सारणी (शेडयूलिंग) हेतु समन्वित अनुरोध रात्रि 10 बजे तक अथवा अधिमान्यतः इससे पूर्व प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिये । राज्य भार प्रेषण केन्द्र अपने जारी किये जाने वाले पुनरीक्षित प्रेषण समय तालिका में सम्मिलित किये जाने बावत् प्रयास करेगा, यदि अनुरोध को अतिपूर्ति (कन्जेशन) निमित्त किये बिना समायोजित किया जा सके ।

उसी दिवस में सम्पादित किये जाने वाले लेन देन

9.5 विनियम 13 अनुसार विनिर्दिष्ट पारेषण प्रभारों, चक्रण प्रभारों, प्रचालन प्रभार आदि के अग्रिम भुगतान हेतु आग्रह नहीं किया जावेगा । ये भुगतान आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से 3 दिवस के अन्दर किये जा सकते हैं ।

9.6 किसी आपातकालीन परिस्थिति निर्मित होने पर, खुली पहुंच क्रेता लघु–अवधि आपातकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उसी दिवस में ऊर्जा स्त्रोत तलाश कर निर्धारित कर सकते हैं तथा राज्य भार प्रेषण केन्द्र को इस हेतु अनुरोध प्रेषित कर सकते हैं । राज्य भार प्रेषण केन्द्र ऐसे आपातकालीन अनुरोध को शीघ्र अति शीघ्र तथा संभावित सीमा में समायोजित करने का प्रयास करेगा ।

10. खुली पहुंच अनुबन्ध

10.1 एक खुली पहुंच क्रेता संबंधित अनुज्ञप्तिधारियों, उत्पादन कंपनियों, व्यापारियों तथा अन्यों के साथ जैसा कि लागू हो अनुबन्ध संपादित करेगा तथा इन विनियमों के अन्तर्गत लागू अन्य शर्तों की पूर्ति करेगा ।

10.2 विपुल (बल्क) ऊर्जा पारेषण अनुबन्ध : पारेषण प्रणाली का उपयोगकर्ता एक दीर्घ–अवधि खुली पहुंच क्रेता पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के साथ विपुल (बल्क) ऊर्जा पारेषण अनुबन्ध राज्य में पारेषण प्रणाली के उपयोग हेतु संपादित करेगा ।

10.3 विपुल (बल्क) ऊर्जा चक्रण (व्हीलिंग) अनुबन्ध :–
वितरण प्रणाली का उपयोगकर्ता एक दीर्घ–अवधि खुली पहुंच क्रेता वितरण अनुज्ञप्तिधारी के साथ विपुल (बल्क) ऊर्जा चक्रण (व्हींलिग) अनुबन्ध वितरण प्रणाली के उपयोग हेतु संपादित करेगा ।

10.4 अनुबन्ध की स्वीकृति हेतु इलेक्ट्रानिक संचार माध्यम की अनुमति दी जा सकेगी ।

10.5 राज्य पारेषण इकाई/राज्य भार प्रेषण केन्द्र खुली पहुंच क्रेता को अनुबन्ध हस्ताक्षरित होने के तीन दिवस के अन्दर कार्यवाही आरंभ किये जाने की तिथि से अवगत करायेंगे ।

10.6 अनुज्ञप्तिधारी, आयोग को, कतिपय खुली पहुंच क्रेता के साथ किये गये किसी नवीन अनुबन्ध के संबंध में अनुबन्ध संबंधी औपचारिकताएं पूर्ण करने पर अवगत करायेगा तथा इसे अपनी वेबसाईट पर भी प्रदर्शित करेगा ।

11 : लघु–अवधि क्रेता द्वारा आरक्षित पारेषण क्षमता का उपयोग न किया जाना

11.1 यदि एक लघु–अवधि क्रेता आरक्षित पारेषण ओर/या वितरण क्षमता का पूर्ण अथवा उसके पर्याप्त भाग का उपयोग करने में असफल रहता है ऐसी दशा में वह राज्य भार प्रेषण केन्द्र को आरक्षित पारेषण क्षमता को उपयोग में न लाये के कारण दर्शाते हुए उसे सूचित करेगा तथा आरक्षित पारेषण और/या वितरण क्षमता को समर्पित कर सकेगा ।

11.2 इन विनियमों में कुछ भी निहित क्यों न हो, राज्य भार प्रेषण केन्द्र अपनी स्वेच्छा से कतिपय लघु–अवधि क्रेता को आरक्षित पारेषण और/या वितरण क्षमता को कम अथवा उसे

निरस्त कर सकेगा, जब ऐसा लघु–अवधि क्रेता आरक्षित पारेषण और/या वितरण क्षमता का बारंबार न्यून उपयोग कर रहा हो :

बशर्ते आरक्षित पारेषण और/या वितरण क्षमता को लघु–अवधि क्रेता जिसकी आरक्षित पारेषण और/या वितरण क्षमता को कम किया जाना चाहा गया हो बिना नोटिस दिये कम अथवा निरस्त नही किया जा सकेगा ।

11.3 लघु–अवधि क्रेता जिसके द्वारा आरक्षित पारेषण और/या वितरण क्षमता अनुच्छेद 11.1 के अर्न्तगत समर्पित कर दी गई है अथवा जिसकी आरक्षित पारेषण और/या वितरण क्षमता अनुच्छेद 11.2 के अन्तर्गत कम अथवा निरस्त की जा चुकी है उसके द्वारा मूल आरक्षित पारेषण और/या वितरण क्षमता पर आधारित सात दिवस अथवा आरक्षित अवधि जिसे समर्पित अथवा कम अथवा निरस्त कर दिया गया है, जैसा कि लागू हो, तथा जो भी अवधि कम हो हेतु पारेषण प्रभारों, चक्रण प्रभारों तथा परिचालन प्रभार का वहन करेगा।

टीपः इस अनुच्छेद के प्रयोजन की दृष्टि से अभिव्यक्ति ''परिचालन प्रभार'' से अभिप्राय वही होगा जैसा कि विनियम 13 के अर्न्तगत इस हेतु नियत किया गया है।

11.4 पारेषण और/या वितरण क्षमता जो लघु–अवधि क्रेता द्वारा अनुच्छेद 11.1 के अर्न्तगत समर्पित अथवा राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा अनुच्छेद 11.2 के अर्न्तगत कम या निरस्त कर दी गई हो, इसे विनियमों के अनुसार किसी अन्य लघु–अवधि क्रेता हेतु आरक्षित किया जा सकेगा।

11.5 क्रेता किसी प्रकार की शिकायत होने पर उसके निवारणार्थ समिति तक पहुंच सकेगा।

12 : कमी किये जाने संबंधी आदेश

12.1 जब किसी प्रकार के प्रतिबन्धों अथवा अन्य कारणों से किन्हीं खुली पहुंच क्रेताओं को आवंटित क्षमता में कटौती किया जाना आवश्यक हो जावे, ऐसी दशा में इनका कटौती संबंधी अनुसरण निम्न क्रमानुसार किया जावेगा :

(i) लघु–अवधि खुली पहुंच क्रेता (वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को छोड़कर)
(ii) लघु–अवधि खुली पहुंच क्षमता जिसे वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को आवंटित किया गया है
(iii) दीर्घ–अवधि खुली पहुंच क्रेता (वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को छोड़कर)
(iv) दीर्घ–अवधि खुली पहुंच क्षमता जिसे वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को आवंटित किया गया है

12.2 किसी वर्ग के अर्न्तगत, ऊर्जा कटौती आनुपातिक आधार पर की जावेगी ।

12.3 राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा किसी लघु अवधि क्रेता का पारेषण और/या वितरण क्षमता का आरक्षण कम अथवा निरस्त किया जा सकेगा, यदि भारत सरकार/मध्यप्रदेश सरकार के केन्द्रीय उत्पादन केन्द्र (केन्दों)/राज्य उत्पादन केन्द्र (केन्द्रों) जैसा कि लागू हो से उर्जा का आवंटन कतिपय क्षेत्र में कतिपय व्यक्ति को किसी अन्य क्षेत्र में करते हैं तथा राज्य भार प्रेषण केन्द्र के मत में ऐसे आवंटन पारेषण कड़ी (लिंक) में अतिपूर्ति के कारण अन्य प्रकार से कार्यान्वित नहीं किया जा सकता हो । यदि राज्य भार प्रेषण केन्द्र इस अनुच्छेद के अर्न्तगत किसी लघु–अवधि क्रेता की पारेषण/वितरण क्षमता को कम या निरस्त करने का निर्णय लेती है, ऐसी दशा में वह शीघ्र अति शीघ्र लघु–अवधि क्रेता को स्वयं के पारेषण और/या वितरण क्षमता को कम अथवा निरस्त किये जाने संबंधी निर्णय से अवगत करावेगी ।

<u>कटौती की दशा में लघु अवधि क्रेताओं द्वारा देय पारेषण प्रभार</u>

12.4 राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा किन्ही पारेषण विवशताओं के कारण किसी विशिष्ट दिवस को आरक्षित पारेषण क्षमता का 25% से अधिक कटौती किये जाने पर उक्त दिवस हेतु उन लघु–अवधि क्रेताओं द्वारा पारेषण प्रभारों का भुगतान वास्तविक रूप से आवंटित की गई पारेषण क्षमता हेतु आनुपातिक दर से देय होगा।

13 : खुली पहुंच के प्रभार

13.1 खुली पहुंच उपलब्ध कराये जाने वाले अनुज्ञप्तिधारी द्वारा केवल ऐसे शुल्कों अथवा खुली पहुंच के प्रभारों का आरोपण, जैसा कि आयोग द्वारा समय–समय पर निर्दिष्ट किया जावे, किया जावेगा। प्रभारों की अवधारण के सिद्धांत निम्नानुसार विस्तार से स्पष्ट किये गये है। नमूना गणना के उदाहरण अनुसूची – 1 अनुसार लगाये गये हैं।

ए **पारेषण प्रभार :–** राज्य के अन्दर पारेषण प्रणाली के अन्तर्गत पारेषण अनुज्ञप्तिधारी का पारेषण के उपयोग हेतु पारेषण प्रभारो का विनियमन निम्नानुसार किया जावेगा, यथाः–

(i) किसी दीर्घ–अवधि क्रेता द्वारा राज्य पारेषण प्रणाली के उपयोग द्वारा देय वार्षिक पारेषण सेवा प्रभारो (Annual Transmission Service Charges-TSC) का अवधारण, आयोग द्वारा समय–समय पर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 61 द्वारा अधिसूचित टैरिफ की निबन्धन एवं शर्तों के अनुसार किया जावेगा । इन प्रभारों को दीर्घ–अवधि खुली पहुंच क्रेताओं के मध्य बांटा जावेगा ।

(ii) किसी लघु–अवधि के क्रेता द्वारा राज्य पारेषण प्रणाली के उपयोग किये जाने पर देय पारेषण प्रभारों की गणना निम्न विधि द्वारा की जावेगी,

$$\text{ST-RATE} = 0.25 \times [\text{TSC}/\text{AV-CAP}]/365$$

जहां :

ST-RATE - लघु अवधि क्रेता हेतु दर रूपये प्रति मेगावाट प्रतिदिन में है ।

"TSC" से अभिप्रेत है आयोग द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष हेतु अवधारित पारेषण प्रणाली के उपयोग हेतु वार्षिक पारेषण प्रभार अथवा वार्षिक राजस्व आवश्यकता।

"AV-Cap" से अभिप्रेत है राज्य के अन्दर पारेषण प्रणाली द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष में पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा औसत क्षमता मेगावाट में जिसकी व्यवस्था की गई तथा इसकी गणना पारेषण प्रणाली से जुडी उत्पादन क्षमताओं तथा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा संचालित अन्य दीर्घ–अवधि के अनुबंधित क्षमता संबंधी लेन–देन (ट्रांसेक्शन) का जोड़ होगा ।

(iii) किसी लघु अवधि क्रेता द्वारा बिना अतिपूर्ति वाले पारेषण मार्ग के उपयोग हेतु आरोपित किये जाने वाले पारेषण प्रभारों की गणना निम्नानुसार की जावेगी, यथा :–

एक खण्ड में किसी दिवस के 6 घटों तक : ST-RATE का चौथाई

एक खण्ड में किसी दिवस के 6 घंटों से अधिक परन्तु 12 घंटों तक : ST-RATE का आधा

एक खण्ड में किसी दिवस के 12 घंटों से अधिक परन्तु 24 घंटों तक : ST-RATE के बराबर

(iv) लघु– अवधि खुली पहुंच के क्रेताओं से इस प्रकार प्राप्त राजस्व का 50 प्रतिशत भाग दीर्घ–अवधि के खुली पहुंच के क्रेताओं के पारेषण के प्रभारों को कम करने के लिये उपयोग किया जावेगा । बचे हुए 50 प्रतिशत भाग को पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अधोसंरचना के विकास में पूंजीगत व्यय के रूप में रखा जावेगा । पारेषण अनुज्ञप्तिधारी लघु अवधि क्रेताओं से अर्जित राजस्व का पृथक लेखा संधारित करेगा। पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को इस लेखे को आयोग द्वारा उसकी वार्षिक राजस्व आवश्यकताओं के अवधारण के समय आयोग को प्रस्तुत करना होगा तथा उसे अनुज्ञप्ति विनियम की शर्तों के अनुसार कोई भी पूंजीगत व्यय करने से पूर्व आयोग की पूर्व अनुमति प्राप्त करना होगी।

बी. **चक्रण प्रभार –** किसी अनुज्ञप्तिधारी की वितरण प्रणाली का उपयोग करने पर चक्रण प्रभारो का निम्नानुसार, विनियमन किया जावेगा, यथा :–

(i) वितरण प्रणाली का उपयोग करने पर किसी दीर्घ–अवधि क्रेता द्वारा देय चक्रण प्रभारों का अवधारण आयोग द्वारा समय–समय पर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 61 के अन्तर्गत अधिसूचित टैरिफ के निबधंन एवं शर्तो के अनुसार किया जावेगा । इन प्रभारों को दीर्घ अवधि खुली पहुंच क्रेताओं के मध्य बांटा जावेगा ।

(ii) किसी लघु–अवधि क्रेता द्वारा वितरण प्रणाली के उपयोग हेतु देय चक्रण प्रभारों की गणना दैनिक आधार पर की जावेगी तथा यह किसी दीर्घ अवधि खुली पहुंच क्रेता द्वारा देय चक्रण प्रभारों के बराबर होगी । किसी बिना अतिपूर्ति वाली वितरण

प्रणाली को एक लघु– अवधि क्रेता द्वारा उपयोग में लाये जाने हेतु देय चक्रण प्रभार निम्नानुसार आरोपित किये जावेंगे, यथा :–

एक खण्ड में किसी दिवस के 6 घटों तक : चक्रण प्रभार का चौथाई

एक खण्ड में किसी दिवस के 6 घंटों से अधिक
परन्तु 12 घंटों तक : चक्रण प्रभार का आधा

एक खण्ड में किसी दिवस के 12 घंटों से अधिक
परन्तु 24 घंटों तक : चक्रण प्रभार के बराबर

(iii) वितरण अनुज्ञप्तिधारी लघु–अवधि खुली पहुंच क्रेताओं से अर्जित राजस्व हेतु एक पृथक लेखा शीर्ष संधारित करेगा तथा इसे वितरण, प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु उपयोग करेगा तथा इसका उपयोग किसी प्रकार के राजस्व व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु नही करेगा । अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इस आय को टैरिफ अवधारण हेतु आवेदन करते समय प्रस्तुत करना होगा ।

(iv) वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा लघु अवधि क्रेताओं से अर्जित राजस्व अधोसंरचना के विकास हेतु पूंजीगत व्यय किये जाने हेतु रखा जावेगा।

सी. <u>परिचालन प्रभार</u>

(i) दीर्घ अवधि खुली पहुंच क्रेता राज्य भार प्रेषण केन्द्र को शेडयूलिंग तथा प्रणाली परिचालन प्रभारों का भुगतान जैसा कि आयोग द्वारा म.प्र. विद्युत नियामक आयोग (राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा शुल्क एवं प्रभार का उदग्रहण एवं संग्रहण) विनियम 2004, के अनुसार अवधारित किया जावेगा, करेंगें ।

(ii) आयोग द्वारा समय समय पर अवधारित परिचालन प्रभार एक लघु–अवधि क्रेता द्वारा राज्य भार प्रेषण केन्द्र को देय होगा ।

टीप– परिचालन प्रभार में शेडयूलिंग तथा प्रणाली परिचालन शुल्क, वास्तविक आधारों पर शेडयूल का पुनरीक्षण किये जाने हेतु शुल्क तथा संग्रहण एवं वितरण प्रभारों हेतु शुल्क सम्मिलित होंगे।

(iii) लघु अवधि खुली पहुंच क्रेताओं से संग्रहित सेवा प्रभारों का 50 प्रतिशत भाग राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा अधोसंरचना के विकास हेतु पूंजीगत व्यय के रूप में जमा रखा जावेगा । राज्य भार प्रेषण केन्द्र, लघु क्रेताओं से अर्जित राजस्व हेतु पृथक से लेखा संधारित करेंगे तथा किसी पूंजीगत व्यय करने से पूर्व आयोग से अनुमति प्राप्त करना होगी । अवशेष 50 प्रतिशत को दीर्घ अवधि खुली पहुंच क्रेताओं द्वारा देय प्रभारों में समायोजित किया जावेगा ।

डी. असंतुलन प्रभार –

(i) निकास बिन्दुओं से अनुसूचित (शेड्यूल्ड) तथा वास्तविक निकास तथा अन्तःक्षेप (इंजेक्शन) बिन्दुओं पर अनुसूचित तथा वास्तविक अन्तःक्षेप द्वारा होने वाली असमानता को राज्य के अन्दर किये जाने वाले ऊर्जा संबंधी लेन–देन हेतु लागू संतुलन तथा व्यवस्थापन संहिता द्वारा नियंत्रित किया जावेगा ।

(ii) खुली पहुंच क्रेताओ को अंसतुलन प्रभारों के पृथक बिल जारी किया जावेंगे ।

ई. रीएक्टिव ऊर्जा प्रभार –

(i) खुली पहुंच के कारण प्रत्यक्ष क्रेताओं द्वारा रीएक्टिव ऊर्जा प्रभारों का भुगतान तथा प्राप्तियों को आयोग द्वारा समय–समय पर राज्य के अन्दर पारेषण को अर्न्तनिहित करने वाले लेन–देन हेतु लागू योजना के अनुसार गणना द्वारा किया जावेगा ।

(ii) स्थाई (embeded) क्रेताओं द्वारा रीएक्टिव ऊर्जा के निकास तथा अन्तःक्षेप को राज्य के अन्दर लागू योजना द्वारा नियन्त्रित किया जावेगा।

एफ. **अधिभार** – आयोग द्वारा उपभोक्ताओं की पृथक पृथक श्रेणियों हेतु क्रॉस–सब्सिडी अधिभार अलग से विनिर्दिष्ट किया जावेगा।

जी. **अतिरिक्त अधिभार–** आयोग अतिरिक्त अधिभार को वार्षिक आधार पर अवधारित करेगा।

एच. **अन्तः संयोजन व्यय–**खुली पहुंच क्रेता जो उनके उत्पादन संयंत्रों तथा ग्रिड संबंधी भार हेतु अन्तः संयोजन (इन्टर कनेक्शन) चाहते हैं, उन्हें केवल एक ही समय, अर्थात्, अन्तः संयोजन के समय, ऐसे व्ययों को जो वास्तविक रूप से अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किये गये हों, वहन करना होगा ।

आई. **अन्य कोई प्रभार**, नकद अथवा माल के रूप में, जैसा कि आयोग विनिर्दिष्ट करेगा, कतिपय खुली पहुंच क्रेता द्वारा देय होंगे ।

13.2 समस्त खुली पहुंच के उपयोगकर्ताओं को किसी अन्तःसंयोजन पर उनकी वास्तविक मांग अथवा वास्तविक निर्गमित क्षमता, जैसा कि लागू हो, उक्त अन्तः संयोजन पर अनुबंधित अधिकतम मांग अथवा वास्तविक निर्गमित मांग से अधिक न हो, सुनिश्चित किये जाने हेतु युक्तिसंगत प्रयास करना होंगे ।

बशर्ते ऊर्जा के संतुलन तथा व्यवस्थापन हेतु तथा पहुंच संबंधी अनुबन्धों के अन्तर्गत समस्त आगमन तथा निर्गमन बिन्दुओं पर मांग बावत्, अनुज्ञप्तिधारी संतुलन तथा व्यवस्थापन संहिता का कड़ाई से अनुसरण करेगा जिसे आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाना है, तथा जैसा कि उसे समय–समय पर आयोग द्वारा संशोधित किया जावेगा ।

बशर्ते, यह भी कि जब तक संतुलन तथा व्यवस्थापन संहिता आयोग द्वारा अनुमोदित नहीं कर दी जाती, विद्यमान अनुबन्धों में ऊर्जा तथा मांग संतुलन बावत जो निबन्धन एवं शर्तें लागू हैं, जारी रहेंगी ।

13.3 ऐसी दशा में, जबकि खुली पहुंच क्रेता अर्न्तराज्यीय पारेषण प्रणाली तथा क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र तथा अन्य राज्य के भार प्रेषण केन्द्र की सेवाओं का उपयोग करता है तो केन्द्रीय पारेषण इकाई तथा अन्य राज्य के राज्य पारेषण केन्द्र के पारेषण प्रभारों तथा क्षेत्रीय भार

प्रेषण केन्द्र तथा अन्य राज्य के भार प्रेषण केन्द्र के सेवा प्रभारों के भुगतान के अतिरिक्त उसे म.प्र. विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित प्रभारों का भुगतान भी करना होगा ।

14. ऊर्जा हानियां

14.1 खुली पहुंच क्रेता, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 61 के अन्तर्गत संरचित विनियम, अर्थात् म.प्र. विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ अवधारणा के निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2005 के अनुसार आयोग द्वारा अनुमोदित पारेषण प्रणाली तथा वितरण प्रणाली की ऊर्जा हानियों को वहन करेंगे । पारेषण तथा वितरण प्रणालियों की ऊर्जा हानियों को अंतःक्षेप बिन्दु(ओं) पर अतिरिक्त अन्तःक्षेप द्वारा क्षतिपूर्ति की जावेगी ।

14.2 पिछले 12 माह में औसत ऊर्जा हानियों संबंधी जानकारी राज्य भार प्रेषण केन्द्र तथा पारेषण एवं वितरण अनुज्ञप्तिधारियों की वेबसाईट पर प्रदर्शित की जावेगी ।

15 : देयकों को तैयार किया जाना तथा उनका भुगतान

15.1 अनुच्छेद 13 में उल्लेखित प्रभारों संबंधी देयक संबंधित अनुज्ञप्तिधारी अथवा राज्य भार प्रेषण केन्द्र, जैसा लागू हो, द्वारा तैयार किये जावेंगे । खुली पहुंच क्रेता इन देयकों के भुगतान सीधे देयक प्रस्तुत करने वाली इकाई को करेंगे ।

15.2 दीर्घ–अवधि क्रेता

पारेषण तथा चक्रण प्रभारों हेतु प्रतिभूति, साख पत्र (Letter of Credit-LC) के रूप में पिछले वर्ष की देयक राशि (ऊर्जा की लागत के बिना) का 1/12वां भाग जो संबंधित अनुज्ञप्तिधारी के साथ आपस में सहमति के आधार पर तैयार किये शेड्यूल पर आधारित होगा, संधारित किया जावेगा । राज्य भार प्रेषण केन्द्र प्रभार हेतु प्रतिभूति निक्षेप जो वार्षिक प्रभारों का 1/12 वां भाग होगा, राज्य भार प्रेषण केन्द्र के साथ संधारित किया जावेगा ।

15.3 लघु–अवधि क्रेता

पारेषण प्रभार, चक्रण प्रभार, परिचालन प्रभार तथा अन्य प्रभारों का भुगतान मासिक आधार पर संबंधित इकाई को किया जावेगा। एक माह अथवा पहुंच की अवधि हेतु, जो भी अवधि कम हो अग्रिम भुगतान पहुंच स्वीकृत होने के तीन कार्य दिवसों के अन्दर करना होगा। उत्तरवर्ती भुगतान अगले माह के आरंभ से कम से कम एक दिन पूर्व करना होंगे। यदि पहुंच की अवधि एक माह से अधिक हो, तो लघु–अवधि क्रेता एक अविखण्डनीय (irrevocable) समर्थन साख पत्र खुली पहुंच के आरंभ होने की अवधि से 7 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करेगा।

15.4 भुगतान संबंधित इकाई, जहॉ वह स्थित है पर देय चेक/डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा अथवा इलेक्ट्रॅनिक अन्तरण द्वारा किया जावेगा।

15.5 बकाया राशि का भुगतान न किये जाने पर अनुज्ञप्तिधारी को विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56 के अर्न्तगत विद्युत प्रदाय विच्छेद करने का अधिकार होगा।

15.6 असंतुलन प्रभारों तथा रिएक्टिव उर्जा प्रभारों का संग्रहण तथा वितरण, आयोग द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट प्रक्रिया एवं विधि द्वारा नियन्त्रित होगा ।

16 : मीटरिंग

16.1 खुली पहुंच क्रेता आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट मीटरिंग संहिता के अनुसार ए.बी..टी. कम्पैटीबल विशेष उर्जा मीटर जो वोल्टेज पाईंट, प्रदाय अवधि तथा टैरिफ श्रेणी के होंगे, मुख्य मीटर के रूप में प्रदान करने की व्यवस्था करेंगे। परिभाषित शब्द, मीटर में करंट ट्रांसफार्मर, वोल्टेज/पोटेंशियल ट्रांसफार्मर उनके बीच की वायरिंग तथा मीटर बॉक्स/पेनल सम्मिलित होंगे। संबंधित अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मीटर, मीटर संबंधित उपकरण तथा उसकी स्थापना को प्रमाणित करना होगा।

16.2 मुख्य मीटरों को सदैव अच्छी अवस्था में रखना होगा तथा इसे समन्वय अधिकरण (नाोडल एजेन्सी) द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा निरीक्षण करने का अधिकार होगा ।

16.3 संबंधित अनुज्ञप्तिधारी मुख्य मीटरों की स्पेसीफिकेशन के अनुरूप जांच (चेक) मीटर प्रदान कर सकेगा।

16.4 मुख्य तथा जांच मीटरों को नियतकालिक रूप से संबंधित अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अन्य संबंधित पक्ष की उपस्थिति में परीक्षण तथा कैलिबरेट किया जावेगा। मुख्य तथा जांच मीटरों को दोनो पक्षों द्वारा सील किया जावेगा। त्रुटिपूर्ण मीटरों को तुरंत बदलना होगा।

16.5 मुख्य तथा जांच मीटरों का वाचन नियतकालिक रूप से निर्धारित दिवस एवं समय पर संबंधित अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अधिकृत अधिकारी, उत्पादन कंपनी, क्रेता अथवा उसके प्रतिनिधि, जैसा कि लागू हो द्वारा किया जावेगा। मीटर वाचन को अनुज्ञप्तिधारी द्वारा राज्य भार प्रेषण केन्द्र, खुली पहुंच क्रेता तथा उत्पादन कंपनी या व्यापारी जैसाकि लागू हो, मीटर वाचन किये जाने के 24 घंटे के अन्दर सूचित करना होगा।

16.6 मुख्य मीटर त्रुटिपूर्ण अथवा बन्द पाये जाने पर, जांच मीटर द्वारा प्रदर्शित वाचन पर विचार किया जावेगा । दोनों मुख्य मीटर तथा जांच मीटर की परिशुद्धता हेतु परीक्षण किया जावेगा यदि मुख्य तथा जांच मीटर के वाचन का अन्तर सुसंगत परिशुद्धता श्रेणी मीटर से मुख्य मीटर वाचन का प्रतिशत त्रुटि के दोगुनी से अधिक पाया जावे । जांच मीटर का वाचन देयक तैयार किये जाने हेतु मान्य किया जोवगा तथा मीटर त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर उसे तुरन्त बदल दिया जावेगा।

16.7 यदि खुली पहुंच क्रेता अनुज्ञप्तिधारी से मीटर की व्यवस्था चाहता है, ऐसी दशा में वह अनुज्ञप्तिधारी को प्रतिभूति निक्षेप (Security deposit) जमा करेगा तथा उसके किराये का भुगतान करेगा । मीटर का संधारण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया जावेगा ।

17 : अन्तःक्षेप तथा निकास बिन्दुओं के परिवर्तन में लचीलेपन का अवसर

17.1 दीर्घ–अवधि के उपयोग कर्ताओं को अन्तःक्षेप और/या निकास बिन्दु के परिवर्तन हेतु वर्ष में एक बार परिवर्तन किये जाने हेतु लचीलेपन का अवसर ऐसे उपयोगकर्ताओं के अनुरोध पर संबंधित अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा किये गये प्रणाली पर पड़ने वाले प्रभाव संबंधी अध्ययनों पर प्राप्त परिणामों के आधार पर, दिया जावेगा बशर्ते विद्यमान उपयोगकर्ताओं के अधिकार प्रभावित न होवें। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किये गये ऐसे अध्ययनों पर किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति ऐसे उपयोगकताओ द्वारा की जावेगी ।

17.2 राज्य भार प्रेषण केन्द्र किसी लघु–अवधि क्रेता को अन्तःक्षेप का (के) बिन्दु परिवर्तन किये जाने हेतु संभव होने की दशा में अनुमति प्रदान कर सकेगा यदि यह आवश्यकता कतिपय आकस्मिकता के कारण होने वाले उत्पादन में व्यवधान अथवा संबद्ध पारेषण के कारण हो।

17.3 राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा अन्तःक्षेप बिन्दु के परिवर्तन किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने के फलस्वरूप किसी अतिरिक्त अथवा नये मार्ग पर, यदि कोई हो, पारेषण क्षमता के आरक्षण की कार्यवाही इन विनियमों के अर्न्तगत की जावेगी।

17.4 जबकि राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा अन्तःक्षेप का(के) बिन्दु(ओं) के परिवर्तन संबंधी आवेदन को स्वीकृति दी गई हो, ऐसी दशा में पारेषण प्रभार तथा सेवा प्रभार जिनका पूर्व में भुगतान किया जा चुका है, को पारेषण प्रभार तथा सेवा प्रभार जो पुनरीक्षित आरक्षित पारेषण क्षमता के कारण देय हो, में समायोजित किया जा सकेगा।

18 : विविध

संसूचना सुविधा

18.1 क्रेता द्वारा प्रदान की जाने वाली संसूचना सुविधा को राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा प्रकरण से प्रकरण आधार पर निर्धारित किया जावेगा। खुली पहुंच क्रेता ऐसी सभी सुविधाएं प्रदान करेगा।

18.2 कतिपय खुली पहुंच क्रेता के पास टेलीफोन, फैक्स, ई–मेल आदि सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। उन्हें अपनी संसूचना संबंधी प्रणाली का विवरण राज्य भार प्रेषण केन्द्र तथा समन्वयन अभिकरण (नोडल एजेन्सी) को देना होगा ।

सूचना प्रणाली

18.3 समन्वयन अभिकरण (राज्य पारेषण इकाई तथा राज्य भार प्रेषण केन्द्र) तथा अनुज्ञप्तिधारियों निम्नानुसार जानकारी अपनी वैबसाईट पर पृथक वैबपृष्ठ पर, जिसका शीर्षक ''खुली पहुंच सूचना'' होगा, लघु–अवधि तथा दीर्ध–अवधि खुली पहुंच क्रेताओं हेतु अलग–अलग, पृष्ठों पर पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा आपस में सूचना के आदान प्रदान की दृष्टि से खुली पहुंच आवेदनों पर कार्यवाही हेतु, संधारित करेंगे :

ए. क्रेता का नाम;

बी. पहुंच स्वीकृति की अवधि (आरंभ तिथि तथा समाप्त तिथि);

सी. अन्तःक्षेप बिन्दु;

डी. निकास बिन्दु;

ई. पारेषण प्रणाली/वितरण प्रणाली की क्षमता;

एफ. उपयोग की गई खुली पहुंच क्षमता;

जी. लागू दरे;

एच. उपलब्ध पारेषण क्षमता;

आई. राज्य में खुली पहुंच के आवेदकों की प्रतीक्षा सूची मय विवरण के;

जे. उपयोग की गई क्षमता का स्तर (अधिक/कम) मेगावाट में, की तुलना में आवंटित क्षमता (लघु परिवर्तनों को छोडकर) जिन्हें सुसंगत आधार पर प्रतिवेदित किया जावेगा;

के. आधार दर(फ्लोर रेट) रुपये प्रति मेगावाट प्रति दिन में लघु'–अवधि क्रेताओं हेतु; (ST-RATE) राज्य में स्थित पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारियों की प्रणाली हेतु,

एल. खुली पहुॅच हेतु प्राप्त आवेदनों की अद्यतन स्थिति (दीर्घ–अवधि एवं लघु–अवधि)

18.4 अनुज्ञप्तिधारियों की वैबसाइट पर उपरोक्त जानकारी के आधार पर त्रैमासिक जानकारी प्रदर्शित की जावेगी । पिछले 12 माह में पारेषण तथा वितरण प्रणाली में औसत ऊर्जा हानि संबधी जानकारी भी ऐसी वेबसाइट पर प्रदर्शित की जावेगी ।

18.5 यदि कोई खुली पहुॅच क्रेता अथवा अनुज्ञप्तिधारी चाहे, तो राज्य भार प्रेषण केन्द्र उन्हें उपलब्ध क्षमता अथवा दीर्घ–अवधि खुली पहुॅच क्रेताओं हेतु आगामी 15 दिवस में चाही गयी क्षमता तथा लघु–अवधि क्रेताओं हेतु 1 दिवस हेतु चाही गई क्षमता संबधी जानकारी उपलब्ध करायेगा ।

18.6 राज्य भार प्रेषण केन्द्र अपनी वेबसाईट पर मांग में परिवर्तन (लोड बिहेवियर) संबंधी विवरण उपलब्ध करायेगा ।

18.7 इस विनियम के प्रभावशील होने की तिथि से दो माह के अन्दर सूचना प्रदान सबंधी कार्यवाही आरंभ कर दी जावेगी ।

राज्य भार प्रेषण केन्द्र पर अधोसंरचना का प्रावधान

18.8 राज्य भार प्रेषण केन्द्र एवं राज्य पारेषण इकाई को राज्य में खुली पहुंच के कार्यान्वयन हेतु नवीनतम संचार प्रणाली की सुविधाएं तथा वास्तविक समय सीमा में आंकडा अर्जन क्षमताओं को विकसित कर उपलब्ध कराना होगा अतः राज्य पारेषण इकाई तथा राज्य भार प्रेषण केन्द्र एक कार्ययोजना की रूप रेखा तैयार करेंगें तथा इन्हें आयोग को विनियमों के प्रकाशन से तीस दिवस के अन्दर प्रस्तुत करेंगें ।

शिकायत निवारण कार्यतन्त्र

18.9 खुली पहुंच से संबंधित कोई विवाद अथवा शिकायत जो अनुचित साधनों, देरी, भेदभाव, जानकारी के अभाव अथवा अन्य कोई विषय वस्तु से संबंधित हो, को समिति को प्रतिवेदित किया जावेगा जो उसकी जांच कर शिकायत को सुलझाने के उपाय करने के प्रयास करेगी ।

18.10 आयोग पारेषण सुविधा की उपलब्धि के संबंध में असुलझे विवादों में न्यायिक प्रक्रिया अनुसार निर्णय देगी ।

समन्वयन

18.11 खुली पहुंच के क्रियान्वयन में सफलता प्राप्ति हेतु, यह अनिवार्य है कि अनुज्ञप्तिधारी तथा राज्य भार प्रेषण केन्द्र आपस में जानकारियों का आदान प्रदान दैनिक आधार पर तथा खुली पहुंच लेन–देन का स्तर निर्धारण उनके प्रदाय क्षेत्र में करें, जिसका अधिक जोर ऊर्जा प्रवाह, पारेषण तथा वितरण लाईनों पर भार तथा प्रणाली में स्थायित्व लाने के उपकरणों, उपलब्ध क्षमता, नेटवर्क में अतिपूर्ति आदि संबंधी पहुलुओं पर होगा ।

ग्रिड अनुशासन तथा प्रदाय की गुणवत्ता

18.12 अनुज्ञप्तिधारी को सभी प्रकार कि युक्तिसंगत प्रयास सुनिश्चित करने हेतु प्रयास करना चाहिए ताकि विद्युत प्रदाय मानकों की गुणावता जो आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 57, भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता तथा म.प्र. विद्युत ग्रिड संहिता के अर्न्तगत निर्धारित की गई है उसके नेटवर्क उपयोग करने वालें समस्त खुली पहुंच उपयोगकर्ताओं द्वारा उस सीमा तक जहां गुणवत्ता मानक ऐसे उपयोग कर्ताओं हेतु लागू हो स्थापित किया जा सके।

18.13 खुली पहुंच, क्रेता भारतीय विद्युत संहिता, म.प्र. विद्युत ग्रिड संहिता तथा राज्य पारेषण इकाई द्वारा समय समय पर दिये गये निर्देशों का पालन करेगा।

आदेशों को जारी करना तथा व्यवसायिक निर्देश

18.14 विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधानों तथा इन विनियमों के अध्यधीन, आयोग समय –समय पर आदेश तथा व्यवसायिक निर्देश इन विनियमों को लागू करने तथा प्रक्रिया जिसका पालन किया जाना है, जारी कर सकेगा ।

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति

18.15 इन विनियमों के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होने पर आयोग, किसी सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा राज्य भार प्रेषण केन्द्र, उत्पादकों, अनुज्ञप्तिधारियों तथा खुली पहुंच के क्रेता को उचित कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित कर सकेगा जो विनियम के उपबन्धों के विरोधाभासी नही होंगी जैसा कि आयोग को उचित प्रतीत हो तथा कठिनाईयां दूर करने में वांछनीय हो ।

18.16 खुली पहुंच क्रेता, उत्पादक, अनुज्ञप्तिधारी तथा राज्य भार प्रेषण केन्द्र आयोग को आवेदन प्रस्तुत कर कठिनाईयां दूर किये जाने हेतु उचित आदेश पारित किये जाने हेतु निवेदन कर सकते है जो इन विनियमों के लागू किये जाने पर उत्पन्न हों ।

संशोधन के अधिकार

18.17 आयोग किसी भी समय इन विनियमों के प्रावधानों में परिवर्धन,परिवर्तन, सुधार या संशोधन कर सकेगा ।

व्यावृति

18.18 इन विनियमों में कुछ भी आयोग की अर्न्तनिहित शक्तियों को ऐसे आदेश जो न्यायहित में या आयोग की प्रक्रियाओं में दोष रोकने के लिये जारी करना आवश्यक है, सीमित या अन्यथा प्रभावित नहीं करेगा।

18.19 इन विनियमों में कुछ भी आयोग को इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप किसी विषय या विषयों के वर्ग की विशिष्ट परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, लिखित कारणों सहित

यदि आयोग आवश्यक व उचित समझे तो ऐसी प्रक्रिया अपनाने में नही रोकेगा जो इन विनियमों के किसी प्रावधानों से अन्यथा हो ।

18.20 इन विनियामों में विशिष्ट या अन्तर्गत कुछ भी आयोग को किसी विषय या अधिनियम के अन्तर्गत किसी अधिकार के उपयोग से नहीं रोकेगा जिसके लिये कोई विनियम नहीं बनाया गया हो तथा आयोग ऐसे विषयों, अधिकारों तथा कार्यों का उसी प्रकार से जैसा वह उचित समझे निवर्तित कर सकेगा ।

टीपः इस मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (मध्यप्रदेश राज्य में खुली पहुंच प्रणाली, के निबधन एवं शर्तें) विनियम 2005 के हिन्दी रूपांतरण के प्रावधानों की व्याख्या या विवेचन या समझने की स्थिति में किसी प्रकार का विरोधाभास होने पर इसके अंग्रेजी संस्करण (मूल संस्करण) के संबंधित प्रावधानों मे दी गई विवेचना के अनुसार ही उसका तात्पर्य माना जावेगा एवं इस संबंध में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयोग का निर्णय अन्तिम एवं बाध्य होगा ।

आयोग के आदेशानुसार

(अशोक शर्मा) उपसचिव

खुली पहुंच स्वीकृति हेतु आवेदन पत्र

(एक खुली पहुंच क्रेता द्वारा प्रस्तुत किया जावे)

1. खुली पहुंच क्रेता का नाम :
2. खुली पहुंच का प्रकार, जो : दीर्घ– अवधि .....
   चाहा गया है (उपयुक्त विकल्प को सही करे) लघु–अवधि .....
3. क्या लेन–देन (ट्रांसेक्शन) में वितरण नेट वर्क का उपयोग होगा : हां ..... नहीं .....
4. पत्र–व्यवहार का पता :
5. सम्पर्क पता :

मुख्य सम्पर्क सूत्र :

ए. नाम :
बी. पद :
सी. दूरभाष :
डी. फैक्स :
ई. ई–मेल :

वैकल्पिक सम्पर्क सूत्र

ए. नाम :
बी. पद :
सी. दूरभाष :
डी. फैक्स :
ई. ई–मेल :

6. ऊर्जा अन्तरण की आवश्यकताओं का विवरण :

ए. ऊर्जा की मात्रा जो पारेषित की जावेगी (मेगावाट में) :

बी. सामान्य (पीक) भार जिसे
अन्तरित किया जाना है :

सी. औसत भार जिसे अन्तरित किया जाना है

डी. अन्तःक्षेप (इन्जेक्टिंग) इकाई
का/के नाम

– ऊर्जा अन्तःक्षेप का/के बिन्दु :

– इसकी मात्रा :

– अतिरिक्त उच्च वोल्टेज उपकेन्द्र का वोल्टेज स्तर :

ई. प्राप्तिकर्ता (ओं) के नाम :

– ऊर्जा अन्तःक्षेप का/के बिन्दु :

– इसकी मात्रा :

– अतिरिक्त उच्च वोल्टेज उपकेन्द्र का वोल्टेज स्तर :

टीप : यदि अन्तः क्षेप तथा निकास की गई ऊर्जा की मात्रा में असमानता (Mismatch) है, ऐसी दशा में अवशेष ऊर्जा का उपयोग करने वाले हितग्राहियों के नाम दिये जावें :

7. खुली पहुंच को आरंभ किये जाने की संभावित तिथि :

8. खुली पहुंच प्राप्त करने की अवधि :

9. उत्पादन केन्द्र हेतु :

ए. प्रवर्तक (प्रोमोटर) का नाम :

बी. उत्पादन क्षमता :

सी. उत्पादन संयंत्र की स्थिति :

डी. इकाइयों की संख्या तथा प्रत्येक इकाई की क्षमता :

ई. ईंधन का प्रकार :

एफ. आधार भार स्टेशन अथवा पीकिंग भार स्टेशन :

जी. यदि पीकिंग लोड है, तो चलाये जाने के प्राक्कलित घंटे कितने हैं :

एच. यदि यह जल विद्युत संयंत्र है तो क्या यह नदी बहाव पर आधारित /जलाशय/ बहुउद्देश्यीय/पंप स्टोरेज आधारित है :

आई. जल विद्युत संयंत्र के संबंध में वार्षिक उत्पादन (एम. यू.) :

जे. स्टेप अप उत्पादन वोल्टेज निर्दिष्ट करें 400 के वी अथवा 220 के वी अथवा अन्य कोई :

के. क्या यह केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा चिंहित परियोजना है :

एल. क्या यह केप्टिव पावर संयंत्र है (हां/नहीं) :

एम. यदि हो तो, उसकी क्षमता उपयोग किये जाने संबंधी विवरण :

एन. परियोजना की वर्तमान स्थिति विद्यमान्/विद्यमान परियोजना का विस्तार/नवीन परियोजना :

10. नवीन उत्पादन केन्द्र की क्षमता के संबंध में क्षमता (मेगावाट) कमिशनिंग शेड्यूल

ए. इकाई वार क्षमता तथा कमीशनिंग शेड्यूल

– प्रथम इकाई

– द्वितीय इकाई

– तृतीय इकाई

– चतुर्थ इकाई

बी. हितग्राहियों का/के नाम तथा उन्हें ऊर्जा का आवंटन :

सी. विद्युत उत्पादन परियोजना के संबंध में विभिन्न क्लियरेंस का विवरण :

– भू–अधिग्रहण

– ईंधन अनुबंध

– पर्यावरण तथा वन क्लियरेंस

– टी ई सी क्लियरेंस जहां
यह आवश्यक हो

– हितग्राहियों के साथ
ऊर्जा क्रय अनुबन्ध

11. बैंक ड्राफ्ट का विवरण

– बैंक का नाम

– ड्राफ्ट क्रमांक

– जारी तिथि

– राशि

लेन देन (ट्रांसेक्शन) संबंधी समस्त इकाइयां (क्रेता, विक्रेता, व्यापारी सम्मिलित कर) मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (मध्य प्रदेश राज्य में खुली पहुंच प्रणाली के निबंधन तथा शर्तें) विनियम 2005 दिनांक ( ) जैसा कि वह समय समय पर संशोधित किया जावे का पालन करेंगी ।

आवेदक एतद् द्वारा आयोग, नोडल एजेन्सी तथा अनुज्ञप्तिधारियों को सभी समयों पर क्षतिपूर्ति करने हेतु सहमति देता है तथा आयोग, नोडल एजेन्सी तथा अनुज्ञप्तिधारियों की क्षतिपूर्ति करने, बचाव तथा बचाने हेतु किसी भी तथा समस्त क्षति, हानि, दावे तथा किसी व्यक्ति को लगी चोट अथवा मृत्यु अथवा सम्पत्ति को हुई हानि, मांग, वाद, वसूलियां, लागत तथा व्यय, न्यायलयीन व्यय, वकालत व्यय तथा अन्य दायित्व जो उसे अथवा किसी तृतीय पक्ष को देय हो तथा इस सहमति के अन्तर्गत लेन–देन (ट्रांसेक्शन) द्वारा उद्भूत हो अथवा कारणों द्वारा की गई हो का पालन करने का वचन देता है ।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

वास्ते खुली पहुंच क्रेता

नाम :

पद :

सील :

स्थान :

दिनांक :

अनुसूची–1

देखे विनियम 13

खुली पहुंच संबंधी प्रभार

वित्तीय वर्ष 05 की टैरिफ पर आधारित नमूना गणना

(वर्ष 2005–06 हेतु वास्तविक अवधारण टैरिफ आदेश के साथ घोषित किया जावेगा)

ए. पारेषण प्रभार

1. दीर्घ–अवधि क्रेताओं हेतु वार्षिक पारेषण प्रभार (TSC) = रू. 305.70 करोड़

पारेषण प्रणाली की क्षमता (Av-cap) = 4953.37 मेगावाट

अतः वित्तीय वर्ष 05 हेतु पारेषण प्रभार = रू. 1690.84 / मेगावाट / दिवस

2. लघु–अवधि क्रेताओ हेतु

ST-RATE = 0.25x1690.84

= रू. 422.71 / मेगावाट / दिवस

बी. <u>चक्रण प्रभार</u>

1. दीर्घ अवधि क्रेताओं हेतु :

वार्षिक चक्रण प्रभार (WC) = रू. 394.00 करोड़

उच्च दाब वितरण प्रणाली की

क्षमता (AV-Dist-Cap) = रू. 4200.00 मेगावाट

अतः वित्तीय वर्ष 05 हेतु चक्रण प्रभार = रू. 2570.12 / मेगावाट / दिवस

2. लघु–अवधि क्रेताओं हेतु

ST-RATE = रू. 2570.12 / मेगावाट / दिवस (दीर्घ अवधिक्रेताओं के अनुरूप)

सी. परिचालन प्रभार

राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा सेवाओं हेतु परिचालन प्रभार आयोग द्वारा समय–समय पर अवधारित किये जावेंगे।

डी. अनशैडयूल्ड इन्टरचेंज (यू.आई) प्रभार

ये प्रभार आयोग द्वारा संतुलन तथा व्यवस्थापन संहिता के अर्न्तगत निर्धारित किये जावेंगे

ई. रीएक्टिव उर्जा प्रभार

ये प्रभार आयोग द्वारा संतुलन तथा व्यवस्थापन संहिता के अन्तर्गत निर्धारित किये जावेगे।

एफ. क्रास सब्सिडी अधिभार– आयोग द्वारा क्रॉस सब्सिडी अधिभार प्रतिवर्ष पृथक पृथक श्रेणी के उपभोक्ताओं हेतु पृथक से विनिर्दिष्ट किया जावेगा।

(i) प्रारूप राष्ट्रीय टैरिफ नीति के अनुसार क्रॉस सब्सिडी अधिभार की गणना (i) टैरिफ जो उपभोक्ता की सुसंगत श्रेंणी हेतु लागू है (ii) वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा लागू श्रेणी हेतु उपभोक्ताओं को विद्युत प्रदाय करने की लागत है, अनुसार (i)) तथा (ii) का अन्तर है।

(ii) प्रारूप नीति के अनुसार एक उपभोक्ता जो खुली पहुंच हेतु अपना विकल्प देता है, वितरण अनुज्ञप्तिधारी हाशिये में दर्शायी योग्यता (मेरिट) के अनुसार उर्जा का क्रय बन्द करने की स्थिति में होगा। अतएव, उसके प्रयोजन हेतु उपभोक्ता को प्रदाय की लागत की गणना

निम्न को जोड़कर की जावेगी (ए) उर्जा क्रय की लागत का भारित औसत (नियत तथा परिवर्तनीय प्रभारों को जोडकर) उच्च 5 प्रतिशत उर्जा हाशिये में दर्शाये मेरिट अनुसार जिसे राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित किया जावेगा तथा सुसंगत वोल्टेज स्तर पर औसत हानि क्षतिपूर्ति हेतु समायोजित किया जावेगा तथा (बी) वितरण प्रभार जो राज्य के अन्तर्गत पारेषण प्रभारों हेतु निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार अवधारित किया जावेगा ।

(iii) वित्तीय वर्ष 05 हेतु अनुमोदित उर्जा क्रय के आधार पर, स्त्रोत जो हाशिये में दर्शाये 5 प्रतिशत उर्जा की आवश्यकताओ की पूर्ति अर्थात वार्षिक आधार पर 1419 यूनिट, निम्नानुसार है :

योग्यता अनुसार केन्द्र जो सर्वोच्च है	उर्जा क्रय लागत (पैसे प्रति यूनिट)*	उत्पादन की मात्रा (एम.यू)
उत्तरी क्षेत्र	287	709
पी टी सी	281	668
एम एस ई बी	267	8
जी जी पी एस	248	34
जोड़	283.13	1419

*** यूनिट नियत प्रभार जोड़कर**

(iv) इन स्त्रोतों से उर्जा क्रय की भारित औसत लागत उर्जा के अन्तिम 5 प्रतिशत के क्रय हेतु, अर्थात 1419 मिलियन यूनिट हेतु रू. 2.83 पैसे प्रति युनिट आयेगी। यह क्रय किये जाने की लागत होगी जो कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा टाली जावेगी जबकि उपभोक्ताओं का पूर्ण समूह खुली पहुंच को प्रथम वर्ष में उपयोग में लायेगा।

(v) ''अन्य उच्चदाब औद्योगिक उर्जा'' 132 के.वी. तथा 33 के.वी. पर क्रॉस–सब्सिडी की नमूना गणना निम्नानुसार प्रदर्शित की गई है ।

उदाहरण 1 : 132 के वी पर खुली पहुंच

विवरण	दर/लागत (पैसे प्रति युनिट)	विशेष
उपभोक्ताओं की सीधी (Through) दर (ई.डी, सेस को छोडकर)	445	
हाशिये में दर्शाई उर्जा की दर (2)	283	
पारेषण प्रभार (3)	11	पारेषण नेटवर्क लोडफेक्टर पर आधारित

प्रणाली हानियों का नगद प्रभाव (4)	25	@ 8.19प्रतिशत प्रणाली हानिया 132 के वी तक
अन्तर (क्रॉस–सब्सिडी अधिभार) 5–(4)–(2)–(3)–(4)	126	

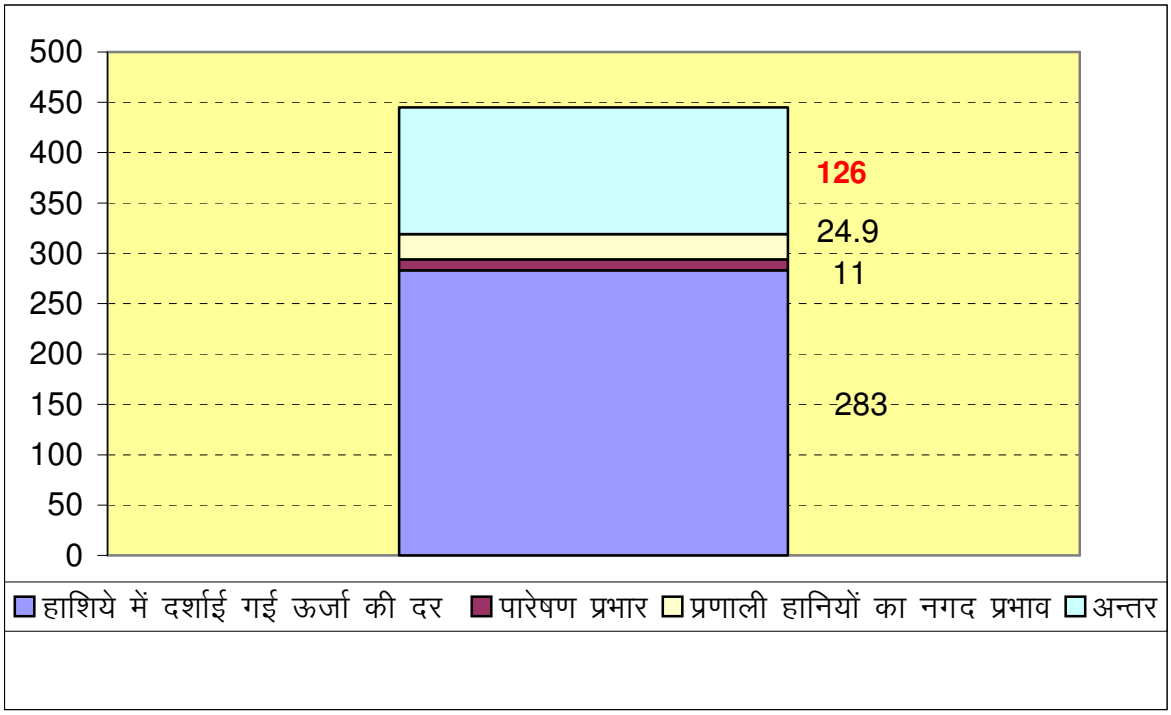

उदाहरण 2: 33 के.वी. पर खुली पहुंच

विवरण	दर/लागत (पैसे/युनिट)	विशेष
उपभोक्ता की सीधी (Through) दर (ई.डी,सेस छोडकर) (1)	463	
हाशिये में दर्शाई ऊर्जा की दर (2)	283	
पारेषण प्रभार (3)	11	पारेषण नेटवर्क लोड फेक्टर पर आधारित
प्रणाली हानियों का नगद प्रभाव (4)	47.7	14.43% प्रणाली हानियां 33 के वी तक
वितरण/चक्रण प्रभार (5)	18.50	चक्रण प्रभार रू 2570.12 /मेगावाट/दिवस @ 57.8% लोड फेक्टर, नेटवर्क उपयोग उच्च दाब स्तर तक
अन्तर (क्रास–सब्सिडी प्रभार) 6= (1)-(2)-(3)-(4)-(5)	102.7	

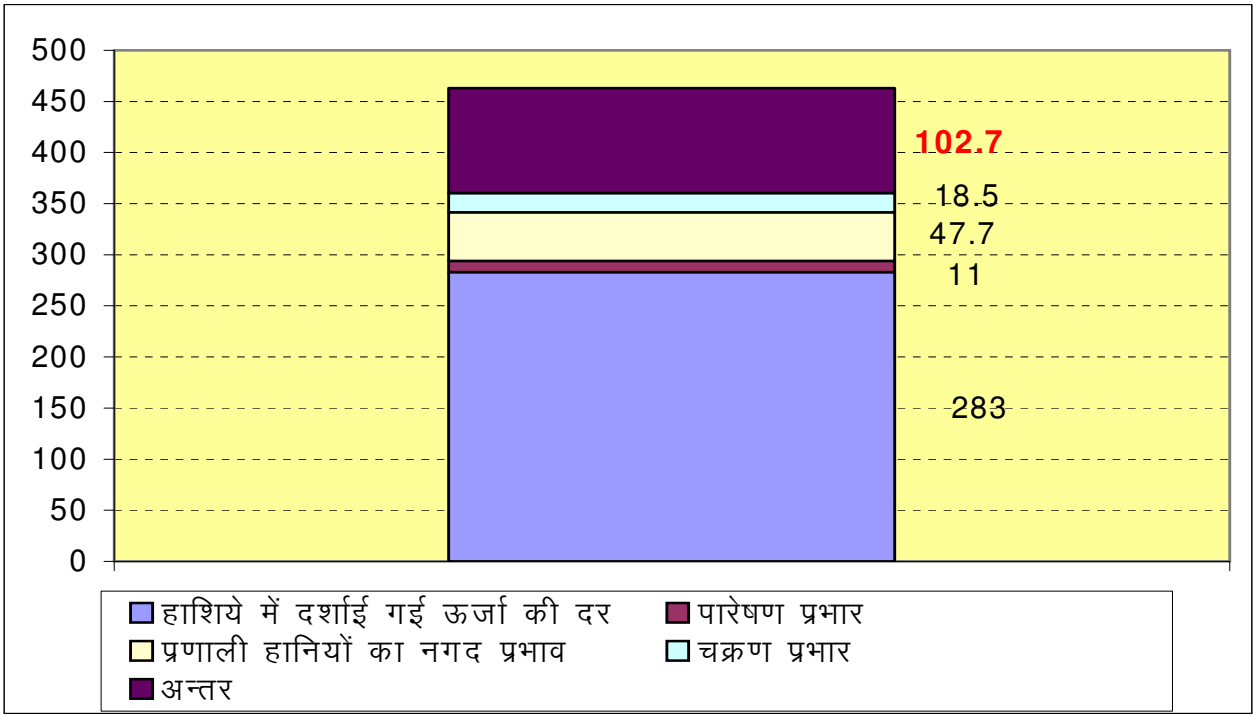

नोटः ऊपर दर्शाये प्रभार तथा वितरण प्रभार क्रमशः सम्पूर्ण पारेषण प्रणाली तथा वितरण प्रणाली हेतु है । आयोग केवल परिसम्पति उपयोग (asset usage) हेतु प्रभारों पर विचार करने के उपरांत इनमें संशोधन करेगा जब तक दिये गये वोल्टेज स्तर तक जहां तक उपभोक्ता संयोजित है, जैसे तथा जब वोल्टेज वार सम्पत्ति उपयोग के विवरण पारेषण/वितरण व्यापार हेतु उपलब्ध नही हो जाते है ।

जी. **अतिरिक्त अधिभार** – आयोग प्रतिवर्ष अतिरिक्त प्रभार पृथक से विनिर्दिष्ट करेगा ।

एच. **अन्तः संयोजन प्रभार** – आयोग द्वारा ये प्रभार पृथक से विनिर्दिष्ट किये जावेंगें।

आई. **संयोजित (कनेक्टिविटी) प्रभार–** जैसा कि आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है, ये प्रभार खुली पहुंच क्रेता द्वारा केवल एक बार ग्रिड से संयोजन हेतु देय होंगें । ये प्रभार आयोग द्वारा विविध प्रभारों के अन्तर्गत जारी आदेश के अनुरूप होंगे तथा नवीन उपभोक्ताओं को जो अनुज्ञप्तिधारी के नेटवर्क से संयोजन के इच्छुक हों, को लागू होंगे।

जे. **अन्य कोई प्रभार**

नगद या माल के रूप में (कैश या काइंड) जैसा कि आयोग विनिर्दिष्ट करेगा, कतिपय खुली पहुंच क्रेता द्वारा देय होंगे।

:———: